रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33001/99

REGD. NO. D. L.-33001/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 24, 2003/ज्येष्ठ 3, 1925
No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 24, 2003/JYAISTHA 3, 1925

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

(भारतीय विधि आयोग)

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2003

सा.का.नि. 208.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विधि अयोग (समूह ''क'' और समूह ''ख'' पद) भर्ती नियम, 1987 का उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, अधिक्रमण करते हुए विधि और न्याय मंत्रालय विधि कार्य विभाग के अधीन विधि अयोग में अधीक्षक (विधि) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि आयोग, अधीक्षक (विधि), समूह ''ख'' पद भर्ती नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति .—**

जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति .—**

इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
अधीक्षक (विधि)	02* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ''ख'' राजपत्रित अननुसचिवीय	7500-250-12,000 रु.	लागू नहीं होता	हां	35 वर्ष से अनधिक। **टिप्पण 1 :** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से विधि में मास्टर की डिग्री के साथ विधि में दो वर्ष का अध्यापन और/या अनुसंधान का अनुभव रखता हो। या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से विधि में स्नातक की डिग्री के साथ विधि में चार वर्ष का अध्यापन ओर/या अनुसंधान का अनुभव रखता हो। या राज्य न्यायिक सेवा का चार वर्ष के लिए सदस्य रहा हो। या अर्हित विधि व्यवसायी अर्थात् अधिवक्ता (अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अर्थातंर्गत) जो उस रूप में चार वर्ष प्रैक्टिस कर चुका हों। **टिप्पण 1 :** ऐसी अवधि की संगणना करते समय जिसमें उस व्यक्ति ने राज्य न्यायिक सेवा में पद धारण किया है, यह अवधि सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान उसने कोई अन्य विधिक पद धारण किया हो या ऐसी कोई अन्य अवधि जिसके दौरन वह विधि व्यवसायी रहा हो। **टिप्पण 2 :** उस अवधि की संगणना करते समय जिसके दौरान व्यक्ति अर्हित विधि व्यवसायी रहा हो ऐसी कोई अवधि सम्मिलि होगी जिसके दौरान उसने राज्य न्यायिक सेवा में कोई पद धारण किया है या राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों में कोई विधिक पद धारण किया हो। **टिप्पण 3 :** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 4 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। **वांछनीय :** विधिक अनुसंधान में एक वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भने जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
11	12
सीधी भर्ती। **टिप्पण** : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जा सकेगी, जो (क)(i) मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पद सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) मूल काडर/विभाग में 7450-11500 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा कर चुके हैं; या (iii) मूल काडर/विभाग में 6500-10500 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा कर चुके हैं या (iv) मूल काडर/विभाग में 5500-9000 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ष सेवा कर चुके हैं; और (ख) स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।	लागू नहीं होता।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे :— 1. सदस्य सचिव/संयुक्त सचिव और विधि अधिकारी, विधि अयोग —अध्यक्ष 2. अपर विधि अधिकारी, विधि आयोग/अपर विधि सलाहकार, विधि कार्य विभाग —सदस्य 3. उप विधि अधिकारी, विधि आयोग/उप विधि सलाहकार/उप सचिव, विधि-कार्य विभाग —सदस्य।	सीधे भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. ए.-11014/1/99-एल.सी.]

यशवंत सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

(LAW COMMISSION OF INDIA)

New Delhi, the 29th April, 2003

G.S.R. 208.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and in supersession of the Law Commission (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1987, in so far as they relate to the post of Superintendent (Legal), except as regards things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of the post of Superintendent (Legal) in the Law Commission under the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Law Commission, Superintendent (Legal), Group 'B' post, Recruitment Rules, 2002. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be cligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Superintendent (Legal)	2* (2003) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, (Group 'B') Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 7500-250-12000	Not Applicable	Yes	Not exceeding 35 years. **Note 1 :** Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date pescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division or Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep) Note under Column 11.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
8	9	10	11
Essential : Master's Degree in law of a recognised University or equivalent and posssessing two years' teaching and/or research experience in law. OR Bachelor's Degree in Law of a recognised University or equivalent and possessing four years' teaching and/or research experience in law OR Should have been a member of State Judicial Service for four years OR Should be a qualified legal practitioner i.e. Advocate (within the meaning of the Advocates Act. 1961) who has practised as such for four years. **Note 1 :** In computing the period during which a person has held an office in the State Judicial Service, there shall be included any period during which he has held any other legal post or any period during which he has been a legal practitioner. **Note 2 :** In computing the period during which a person has been a qualified legal practitioner, there shall be included any period during which he has held any office in the State Judicial Service or has held a legal post in the Department of State or Central Government/Union Territory/ Recognised Research Institutions or Universities. **Note 3 :** The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note 4 :** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. **Desirable :** One year's experience in legal research.	Not Applicable	Two years	Direct Recruitment. **Note :** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government. (a)(i)holding analogous posts on regular basis in the Parent Cadre/Department; or (ii) With two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 7450-11500 or equivalent in the Parent Cadre/Department; or (iii) With three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 6500-10500 or equivalent in the parent cadre/ department; or (iv) With seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 5500—9000 or equivalent in the parent cadre/ Department; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13	14
Not applicable	**Group 'B' Departmental Promotion Committee** (for considering confirmation) consisting of : 1. Member Secretary/Joint Secretary and Law Officer, Law Commission —Chairman 2. Additional Law Officer, Law Commission/Additional Legal Adviser, Department of Legal Affairs —Member 3. Deputy Law Officer, Law Commission/Deputy Legal Advisor/ Deputy Secretary, Department of Legal Affairs —Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment.

[F. No. A-11014/1/99-LC]

YASHWANT SINGH, Under Secy.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 7 मई, 2003

सा.का.नि. 209.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग (सतर्कता सहायक) भर्ती नियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (सतर्कता सहायक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संघ लोक सेवा आयोग (सतर्कता सहायक) भर्ती नियम, 1999 की अनुसूची में,—

(क) "भूतपूर्व सैनिक" शब्दों के स्थान पर जहां-जहां वे आते हैं, "सशस्त्र बल कार्मिक" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) स्तंभ 12 के नीचे, "पुनर्नियोजन" शब्द से आरंभ और "नियुक्त किया जाता है" शब्दों से समाप्त होने वाले अंश के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"सशस्त्र बल कार्मिक के लिए :

प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन

सशस्त्र बल के जूनियर कमीशन अधिकारी या समतुल्य की पंक्ति के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहीत अर्हताएं हैं। चयन की दशा में ऐसे अधिकारियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। ऐसे अर्हित अधिकारियों के पद पर वास्तविक चयन से पूर्व सेवानिवृत्त होंगे या रिजर्व में स्थानांतरित होने की दशा में उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर सिविल पदों के प्रतिनिर्देश से अधिवर्षिता की आयु तक होगी। प्रतिनियुक्ति का अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन /विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।"

[फा. सं. 39021/2/92-स्था. (ख)]

श्रीमती प्रतिभा मोहन, निदेशक

पाद टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. सं. 422 तारीख 25 दिसंबर, 1999 को प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. सं. 457 तारीख 25 अगस्त, 2001 द्वारा उनमें संशोधन किए गए।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 7th May, 2003

G.S.R. 209.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Union Public Service Commission (Vigilance Assistant, Recruitment Rules, 1999, namely :—

1. (1) These rules may be called the Union Public Service Commission (Vigilance Assistant) recruitment (Amendment) Rules, 2003.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Union Public Service Commission (Vigilance Assistant, Recruitment Rules, 1999,—

   (a) For the words "ex-servicemen" wherever they occur, the words "Armed Forces Personnel" shall be substituted:

   (b) Under column 12 for the portion beginning with the words "For ex-serviceman; Deputation /Re-employment;" and ending with the words "date of receipt of application" the following shall be substituted, namely :—

"For Armed Forces Personnel :

Deputation/Re-employment

The Armed Forces Personnel of the rank of Junior Commissioned Officer or equivalent who are due to retire of to be transferred to reserve within a period of one year and have the requisite experience and qualifications prescribed for deputationist shall also be considered. If selected, such officers will be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed forces. Thereafter, they may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment will be on re-employment basis upto the age of superannuation with reference to civil posts. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications)."

[F. No. 39021/2/92-Estt. (B)]
Smt. PRATIBHA MOHAN, Director

Foot note.— The principal rules were published vide number G.S.R. 422 dated 25th December, 1999 and amended vide number G.S.R 457 dated 25th August, 2001.

कोयला और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, 8 मई, 2003

सा.का.नि. 210.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय खान ब्यूरो (वर्ग "I" और "II" पद) भर्ती नियम, 1964 को, उन बातों के अधिक्रान्त करते हुए जहां तक उसका संबंध अधीक्षण खनिज अर्थशास्त्री, खनिज अर्थशास्त्री, उप-खनिज अर्थशास्त्री, और सहायक खनिज अर्थशास्त्री (आसूचना), खनिज अधिकारी (आसूचना) और मुख्य खनिज अर्थशास्त्री के पदों से है जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय खान ब्यूरो, खान विभाग, कोयला और खान मंत्रालय में कतिपय समूह "क" और "ख" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कोयला और खान मंत्रालय, खान विभाग, भारतीय खान ब्यूरो, समूह "क" और "ख" पद भर्ती नियम, 2003 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**— ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं .**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
1. मुख्य खनिज अर्थशास्त्री	1* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अनुसचिवीय	16400-450-20000 रु.	चयन	50 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	हां

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से खनन इंजीनियरी में डिग्री या अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान या भू-विज्ञान या अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री अथवा समतुल्य, (ii) खनिज अर्थशास्त्र, अर्थात् मांग सर्वेक्षण कराने, खनिज विपणन सर्वेक्षण, खनिज तालिका, खनिज विद्यायन, वस्तुओं का विवरण, विश्व खनिज आसूचना, खनिज आर्थिक संसाधनों के पहलूओं के अन्वेषण तथा धातु और खनिज से संबंधित खनिज इत्यादि के उपयोग के क्षेत्र में पर्यवेक्षणीय हैसियत में बारह वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1 :** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में होने की संभावना नहीं है : **वांछनीय :** (i) उत्पादन, वितरण, निर्यात, आयात इत्यादि या भारत में खनिज और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में रूझान के परिवर्तन से संबंधित सांख्यिकी का ज्ञान। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से खनन इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्री/अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान/भू-विज्ञान/खनिज विज्ञान/अर्थशास्त्र में अधिमानत: खनिज अर्थशास्त्र में डाक्टरेट डिग्री या समतुल्य। (iii) सांख्यिकी में डिग्री। (iv) कम्प्यूटर के कार्य ज्ञान के साथ कार्यालय में सोफ्टवेयर के उपयोग पर सामान्यत: विशेष बल दिया जाएगा।	आयु—नहीं शैक्षिक अर्हताएं—हां	सीधी भर्ती करने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : ऐसे अधीक्षण खनिज अर्थशास्त्री (आसूचना) जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो ।

12

	टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति :** (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/स्वशासी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी— (क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 14,300—18,300 रु. या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की है; और (iii) जिनके पास स्तंभ 8 में सीधे भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव है। (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।) प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. सचिव/अपर सचिव, खान मंत्रालय —सदस्य 3. महा नियंत्रक/निदेशक (अयस्क ड्रेसिंग), भारतीय खान ब्यूरो —सदस्य	सीधी भर्ती करते समय और किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति 1. अपर सचिव/संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय —अध्यक्ष 2. महा नियंत्रक/निदेशक (अयस्क ड्रेसिंग), भारतीय खान ब्यूरो —सदस्य	

1	2	3	4	5	6	7
2. अधीक्षण खनिज अर्थशास्त्री (आसूचना)	3* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित (अननुसचिवीय	14,300-400-18,300 रु.	चयन	50 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	हां

8	9	10
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से खनन इंजीनियरी में डिग्री या अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान या भू-विज्ञान या अर्थ-शास्त्र में मास्टर डिग्री अथवा समतुल्य। (ii) खनिज अर्थशास्त्र, अर्थात् मांग सर्वेक्षण कराने, खनिज विपणन सर्वेक्षण, खनिज तालिका, खनिज विद्यायन, वस्तुओं का विवरण, विश्व खनिज आसूचना, खनिज अर्थिक संसाधनों के पहलुओं के अन्वेषण तथा धातु और खनिज से संबंधित खनिज इत्यादि के उपयोग के क्षेत्र में पर्यवेक्षणीय हैसियत में दस वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1 :** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। **वांछनीय :** (i) उत्पादन, वितरण, निर्यात, आयात इत्यादि या भारत में खनिज और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में रूझान के परिवर्तन से संबंधित सांख्यिकी का ज्ञान। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से खनन इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्री/अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान/भू-विज्ञान/खनिज विज्ञान/अर्थशास्त्र में अधि-मानत: खनिज अर्थशास्त्र में डाक्टरेट डिग्री या समतुल्य।	आयु—नहीं शैक्षिक अर्हताएं—हाँ	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।

8	9	10
(iii) सांख्यिकी में डिग्री। (iv) कम्प्यूटर के कार्य ज्ञान के साथ कार्यालय में सोफ्टवेयर के उपयोग पर सामान्यत: विशेष बल दिया जाएगा।		

11	12
(i) 66.67 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। (ii) 33.33 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रति-नियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।)	**प्रोन्नति :** ऐसे खनिज अर्थशास्त्री (आसूचना) जिन्होंने नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति :** (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/मान्यताप्राप्त अनुसंधान /स्वशासी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी— (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पर धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 12000-16500 रु. या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और (iii) जिनके पास स्तंभ 8 में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकथित अर्हताएं और अनुभव है। (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13	14
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. अपर सचिव/संयुक्त सचिव, खान विभाग —सदस्य 3. निदेशक (अयस्क ड्रेसिंग)/मुख्य खनिज अर्थशास्त्री, भारतीय खान ब्यूरो —सदस्य **समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए—** 1. संयुक्त सचिव, खान विभाग —अध्यक्ष 2. निदेशक (अयस्क ड्रेसिंग) मुख्य खनिज अर्थशास्त्री, भारतीय खान ब्यूरो —सदस्य	सीधी भर्ती करते समय और किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7
3. खनिज अर्थशास्त्री (आसूचना)	4* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' अराजपत्रित अननुसचिवीय	12000-375-16500 रु.	चयन	45 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	हां

8	9	10
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से खनिज इंजीनियरी में डिग्री या अर्थशास्त्र या अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान या भू-विज्ञान में मास्टर डिग्री अथवा समतुल्य। (ii) आंकलन स्त्रोत बाजार सर्वेक्षण और खनिजों संसाधनों के आर्थिक पहलुओं के अन्वेषण तथा खनिज के उत्पादन और उपयोग में पर्यवेक्षणीय हैसियत से दस वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1 :** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में होने की संभावना नहीं है। **वांछनीय :** (i) उत्पादन, वितरण, निर्यात, आयात इत्यादि या भारत में खनिज और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में रूझान के परिवर्तन से संबंधित सांख्यकी का ज्ञान। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से खनन इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्री/अनुप्रयुक्त भू विज्ञान/भू-विज्ञान/खनिज विज्ञान/अर्थशास्त्र में अधिमानत: खनिज अर्थशास्त्र में डाक्टरेट डिग्री या समतुल्य। (iii) सांख्यिकी में डिग्री। (iv) कम्प्यूटर के कार्य ज्ञान के साथ कार्यालय में सोफ्टवेयर के उपयोग पर सामान्यत: विशेष बल दिया जाएगा।	आयु—नहीं शैक्षिक अर्हताएं—हाँ	सीधी भर्ती करने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

11	12
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति :** ऐसे उप-खनिज अर्थशास्त्री (आसूचना) जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति :** (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी— (क)(i) जो मूल कांडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पर धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 10000-15200 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ 8 में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकथित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13	14
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव/निदेशक खान विभाग —सदस्य 3. मुख्य खनिज अर्थशास्त्री/अधीक्षण/खनिज अर्थशास्त्री (आसूचना) भारतीय खान ब्यूरो —सदस्य **समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)** 1. संयुक्त सचिव/निदेशक खान विभाग —अध्यक्ष 2. मुख्य खनिज अर्थशास्त्री/अधीक्षण/खनिज अर्थशास्त्री (1) भारतीय खान ब्यूरो —सदस्य	सीधी भर्ती करते समय और किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7
4. उप-खनिज अर्थशास्त्री (आसूचना)	10*(2003) *कार्यभार के आधार पर	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' अराजपत्रित	10000-325-15200 रु.	चयन	40 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार	हां

1	2	3	4	5	6	7
	परिवर्तन किया जा सकता है।	अननुसचिवीय			सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	

8	9	10
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से खनिज इंजीनियरी में डिग्री या अर्थशास्त्र या अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान या भू-विज्ञान में मास्टर डिग्री अथवा समतुल्य (ii) आंकलन स्त्रोत बाजार सर्वेक्षण और खनिजों संसाधनों के आर्थिक पहलुओं के अन्वेषण तथा खनिज के उत्पादन और उपयोग में पर्यवेक्षीय हैसियत से दस वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1 :** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। **वांछनीय :** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से आर्थिक खनिज के क्षेत्र में अधिमानत: अर्थशास्त्र/अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान/भू-विज्ञान में डाक्टरेट डिग्री/ खनिज इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री या समतुल्य। (ii) सांख्यिकी में डिग्री। (iii) कम्प्यूटर के कार्य ज्ञान के साथ कार्यालय में सोफ्टवेयर के उपयोग पर सामान्यत: विशेष बल दिया जाएगा।	आयु—नहीं शैक्षिक अर्हताएं—हाँ	सीधी भर्ती करने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

(11)	(12)
40 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। 60 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति :**—ऐसे सहायक खनिज अर्थशास्त्री (आसूचना) जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति :** (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन ऐसे अधिकारी— (क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 8000-13500 रु. या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ 8 में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकथित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(13)	(14)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) : (i) संयुक्त सचिव/निदेशक, खान विभाग —अध्यक्ष (ii) मुख्य खनिज अर्थशास्त्री अधीक्षण खनिज अर्थशास्त्री (आसूचना) भारतीय खान ब्यूरो —सदस्य (iii) निदेशक/उप सचिव, खान विभाग —सदस्य **समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)** 1. संयुक्त सचिव/निदेशक, खान विभाग —अध्यक्ष 2. मुख्य खनिज अर्थशास्त्री/अधीक्षण खनिज अर्थशास्त्री, (आसूचना) भारतीय खान ब्यूरो	सीधी भर्ती करते समय और किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. सहायक खनिज अर्थशास्त्री (आसूचना)	11*(2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' अराजपत्रित अननुसचिवीय	8000-275-13500 रु.	चयन	35 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	हां

(6)
टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(8)	(9)	(10)
आवश्यक : वाले (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से खनिज इंजीनियरी में डिग्री या भू-विज्ञान या अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान या भू-विज्ञान या अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री या समतुल्य; (ii) आंकलन स्रोत बाजार सर्वेक्षण और खनिजों संसाधनों के आर्थिक पहलुओं के अन्वेषण तथा खनिज के उत्पादन और उपयोग में पर्यवेक्षीय हैसियत से तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1 :** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में होने की संभावना नहीं है। **वांछनीय :** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से खनन इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्री/अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान/भू-विज्ञान/ खनिज विज्ञान/अर्थशास्त्र में अधिमानत: खनिज अर्थशास्त्र में डाक्टरेट डिग्री या समतुल्य। (ii) सांख्यिकी में डिग्री। (iii) कम्प्यूटर के कार्य ज्ञान के साथ कार्यालय में सोफ्टवेयर के उपयोग पर सामान्यत: विशेष बल दिया जाएगा।	**आयु—नहीं** **शैक्षिक अर्हता—हाँ**	सीधी भर्ती करने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष प्रोन्नति किए जाने व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(11)	(12)
20 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति :** ऐसे खनिज अर्थशास्त्री (आसूचना) जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है।
80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	**टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

(13)	(14)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) : (i) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष (ii) संयुक्त सचिव/निदेशक, खान विभाग —सदस्य (iii) मुख्य खनिज अर्थशास्त्री/अधीक्षण/खनिज अर्थशास्त्री (आसूचना) भारतीय खान ब्यूरो —सदस्य **समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :** 1. संयुक्त सचिव/निदेशक, खान विभाग —अध्यक्ष 2. मुख्य खनिज अर्थशास्त्री/अधीक्षण खनिज अर्थशास्त्री, भारतीय खान ब्यूरो —सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6. खनिज अधिकारी (आसूचना)	5*(2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित अननुसचिवीय	6500-200-10500 रु.	चयन	35 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	नहीं	**आवश्यक :** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भू-विज्ञान या अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान में मास्टर डिग्री समतुल्य। (ii) खनिज या खनिज से संबंधित डाटा का संकलन और प्रसंस्करण या भू-विज्ञान या खनिज विपणन और उपयोग तथा उनके उत्पादन में दो वर्ष का अनुभव। या (ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से खनन इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य।	आयु—नहीं शैक्षिक अर्हताएं—नहीं (शैक्षिक अर्हताएं स्तंभ 12 में उपवर्णित सीमा तक)	सीधी भर्ती किए जान वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष)।

(8)	
टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2** : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	**वांछनीय** : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से खनन इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्री/अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान/भू-विज्ञान/खनिज विज्ञान/अर्थशास्त्र में अधिमानत: खनिज अर्थशास्त्र में डाक्टरेट डिग्री या समतुल्य। (ii) सांख्यिकी में डिग्री। (iii) कम्प्यूटर के कार्यज्ञान के साथ कार्यालय में सोफ्टवेयर के उपयोग पर सामान्यत: विशेष बल दिया जाएगा।

(11)	(12)
75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति** : ऐसे ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (भू-विज्ञान) जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है; और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भू-विज्ञान विषय सहित विज्ञान में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की कम से कम डिग्री या समतुल्य; या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से खनन इंजीनियरी में डिप्लोमा या समतुल्य। **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति **(प्रोन्नति के लिए जिसमें निम्नलिखित होंगे) :** 1. निदेशक (अयस्क ड्रेसिंग/मुख्य खनिज अर्थशास्त्री), भारतीय खान ब्यूरो —अध्यक्ष 2. अधीक्षण खनिज अर्थशास्त्री/खनिज अर्थशास्त्री (आसूचना) भारतीय खान ब्यूरो —सदस्य 3. अधीक्षण अयस्क ड्रेसिंग अधिकारी/अयस्क ड्रेसिंग अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो —सदस्य **समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति** **(पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :** 1. मुख्य खनिज अर्थशास्त्री/अधीक्षण खनिज अर्थशास्त्री (1), भारतीय खान ब्यूरो —अध्यक्ष 2. खनिज अर्थशास्त्री (आसूचना)/उप खनिज अर्थशास्त्र, (आसूचना) भारतीय खान ब्यूरो —सदस्य	सीधे भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 22/3/2001-एम-III]

हेम पांडे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL AND MINES

(Department of Mines)

New Delhi, the 8th May, 2003

G.S.R. 210.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Bureau of Mines (Class I and II posts) Recruitment Rules, 1964 insofar as they relate to the posts of the Superintending Mineral Economist, the Mineral Economist, the Deputy Mineral Economist and the Assistant Mineral Economist (Intelligence), the Mineral Officer (Intelligence) and the Chief Mineral Economist, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certian Group 'A' and 'B' Posts in the Ministry of Coal & Mines, Department of Mines, Indian Bureau of Mines, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Coal & Mines, Department of Mines, Indian Bureau of Mines Group 'A' and 'B' Posts Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Applications.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Scheduled.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment , age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.**— No person,—

who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax:**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving:**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
1. Chief Mineral Economist	1*(2003) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "A" Gazetted, (Non-Ministerial)	Rs. 16400-450-20000	Selection	50 years. (Relaxable for Government servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :**—The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for

				6
				receipt of application from candidates in India. (And not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of the Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Whether the benefit of added years of service is admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules-1972.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Yes	**ESSENTIAL:** (i) Master's Degree in Applied Geology or Geology or Economics or degree in Mining Engineering from a recognised University or equivalent; (ii) Twelve years experience in a supervisory capacity in the field of Mineral economics, viz., conducting demand supply studies, Market Survey of minerals, mineral inventory, mineral legislation, preparation of commodity profiles, world mineral intelligence, investigation of economics aspect of mineral resources and production and utilisation of minerals etc. pertaining to metals and minerals. **NOTE 1.**—The qualifications are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well qualified. **NOTE 2.**—The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Age—No: Educational qualification—Yes.	One year for direct recruits

8	
Desirable :— (i) Knowledge of statistics relating to production, distribution, export, import etc. or minerals in India and of the varying trends in the international market. (ii) Post-graduate degree in Mining Engineering/Doctorate Degree in Applied Geology/Geology/Mineralogy/Economics preferably in Mineral Economics from a recognised university or equivalent. (iii) Degree in Statistics. (iv) Working knowledge of computers with special emphasis on commonly used software in office.	

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absortion to be made
11	12
Promotion failing which by deputation (including short-term contract) failing both by direct recruitment.	**Promotion :** Superintending Mineral Economist (Intelligence) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying /eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation :** (including short-term contract). Officers under the Central/State Government/Public Sector Undertaking/Recognised Research Institutions/Autonomous Bodies :— (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 14300-18300/- or equivalent; in the parent cadre/ department; or (iii) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruitment in column No. 8. The departmental Officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Govemment shall ordinarily not exceed three years). The maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.
If a Departmental Promotion Committee exists, what is	Circumstances in which Union Public Service Commission

its composition	is to be consulted in making recruitment.
13	14
Group "A" Departmental Promotion Committee (for considering promotion) 1. Chairman/Manager Union Public Service Commission —Chairman 2. Secretary/Additional Secretary, Department of Mines —Member 3. Controller General/Director (Ore Dressing), Indian Bureau of Mines —Member **Group "A" Departmental Promotion Committee (for considering promotion)** 1. Additional Secretary/Joint Secretary, Department of Mines. —Chairman 2. Controller General/Director (Ore Dressing), Indian Bureau of Mines —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recritment and appointment an officer on deputation (including short-term contract).

1	2	3	4	5	6
2. Superintending Mineral Economist (Intelligence)	3* (2003) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "A" Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 14300-400-18300	Selection	50 years. (Relaxable for Government servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note :—The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (And not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of the J & K State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

7	8	9	10
Yes	**ESSENTIAL:** (i) Master's Degree in Applied Geology or Geology Economics or Degree in Mining Engineering from a recognised University or equivalent. (ii) Ten years experience in a supervisory	Age—No. Educational Qualification—Yes.	One year for direct recruits.

8	
capacity in the field of Mineral economics, viz., conducting demand supply studies, Market Survey of minerals, mineral inventory, mineral legislation, preparation of commodity profiles, world mineral intelligence, investigation of economics aspect of mineral resources and production and utilisation of minerals etc. **Note.**— The qualifications are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note.**—The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. **Desirable :** (i) Knowledge of statistics relating to production, distribution, export, import etc. or minerals in India and of the varying trends in the international market. (ii) Post-graduate degree in Mining Engineering/Doctorate Degree in Applied Geology/Geology/Mineralogy/Economics preferably in Mineral Economics from a recognised University or equivalent. (iii) Degree in Statistics. (iv) Working knowledge of computers with special emphasis on commonly used software in office.	

11	12
(i) 66.67 Per cent promotion failing which on deputation (including short term contract) and failing both by direct recruitment. (ii) 33.33 Per cent direct recruitment failing which by deputation (including short term contract)	**Promotion :** Mineral Economist (Intelligence with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors

12	
	who have already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation : (including short term contract)** Officers under the Central/State Governments/Public Sector Undertaking/Recognised Research Institutions/Autonomous Bodies :— (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in scale of pay of Rs. 12000-16500/- or equivalent in the parent cadre/ department; and (iii) possessing the qualifications and experience laid down for direct recruit in column 8. The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other Organisation/ Department of the Central Government shall not exceed five years.) The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.
13	14
Group "A" Departmental Promotion Committee (for considering promotion) 1. Chairman/Member Union Public Service Commission —Chairman 2. Additional Secretary/Jt. Secretary Department of Mines —Member 3. Director (Ore Dressing)/Chief Mineral Economist, Indian Bureau of Mines —Member **Group "A" Departmental Promotion Committee (for considering confirmation)** 1. Joint Secretary, Department of Mines. —Chairman 2. Director (Ore Dressing)/Chief Mineral Economist, Indian Bureau of Mines —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation (including short term contract).

1	2	3	4	5	6
3. Mineral Economist (Intelligence)	4* (2003) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 12000-375-16500	Selection	45 Years. (Relaxable for Government servant up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :**—The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (And not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

7	8	9	10
Yes	**Esssential** (i) Master's Degree in Geology or Applied Geology or Economics or Degree in Mining Engineering from a recognised University or equivalent. (ii) Ten years experience in supervisory capacity in resources appraisal market survey and investigation of economic aspect of mineral resources and production and utilisation of minerals. **Note.**—The qualifications are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note.**—The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission in case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Age—No. Educational Qualification—Yes	One year for Direct recruits

8	
Desirable : (i) Master's Degree in Mining Engineering/ Doctorate Degree in Geology/Applied Geology/Economics preferably in the field of mineral economics from a recognised university or equivalent. (ii) Degree in Statistics. (iii) Working knowledge of computers with special emphasis on commonly used software in office.	

11	12
Promotion failing which by deputation (including short term contract) failing both by direct recruitment.	**Promotion :** Deputy Mineral Economist (Intelligence) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation :** (including short term contract) Officers under the Central/State Governments/Public Sector Undertaking/ Recognised Research Institutions :— (a)(i)holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/Department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 10000-15200/- or equivalent in the parent cadre/ department; and (b) possessing the Educational Qualification and experience laid down for direct recruitment in column 8. The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

13	14
Group "A" Departmental Promotion Committee (for considering promotion) : 1. Chairman/Member Union Public Service Commission —Chairman 2. Joint Secretary/Director, Department of Mines —Member 3. Chief Mineral Economist/Suptdg. Mineral Economist (Intelligence), Indian Bureau of Mines —Member **Group "A" Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :** 1. Joint Secretary/Director, Department of Mines. —Chairman 2. Chief Mineral Economist/Suptdg. Mineral Economist (I), Indian Bureau of Mines —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recritment and appoinment an officer on deputation (including short-term contract).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. Deputy Mineral Economist (Intelligence)	10* (2003) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "A" Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 10000-325-15200	Selection	40 Years. (Relaxable for Government servant upto five years in accordance with the instructions or orders orders issued by the Central Government). **Note 1.**—The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (And not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Yes	**ESSENTIAL** (i) Master's Degree in Geology or Applied Geology or Economics or Degree in Mining Engineering from a recognised	Age—No. Educational Qualification—Yes	One year for Direct recruits

8		
	University or equivalent (ii) Five years experience in a supervisory capacity in resources appraisal market survey and investigation of economic aspect of mineral resources and production and utilisation of minerals. **NOTE.**—The Qualifications are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. **NOTE.**—The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. **Desirable.—** (i) Master's Degree in Mining Engineering/ Doctorate Degree in Geology/Applied Geology/Economics preferably in the field of mineral economics, from a recognised university of equivalent. (ii) Degree in Statistics. (iii) Working knowledge of computers with special emphasis on commonly used software in office.	

11	12
40 per cent by Promotion failing which by deputation (including short-term contract) failing both by direct recruitment) 60 Per cent by direct recruitment.	**Promotion.—** Asstt. Mineral Economist (Intelligence) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation :** (including short-term contract) Officers under the Central/State Governments/Public Sector Undertaking/Recognised Research Institutions :— (a)(i)holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/Department; or

12
(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 8000-13500 or equivalent in the parent cadre/ Department; and (b) possessing Educational Qualification and experience laid down for direct recruit in column No. 8. The Departmental Officers in the feeder grads who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/ Department of Central Government shall ordinarily not to exceed three years). The maximum age limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications.

13	14
Group "A" Departmental Promotion Committee (for considering promotion) : 1. Joint Secretary/Director, Department of Mines —Chairman 2. Chief Mineral Economist/Suptdg. Mineral Economist (Intelligence), Indian Bureau of Mines —Member 3. Director/Deputy Secretary, Department of Mines —Member **Group "A" Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :** 1. Joint Secretary/Director, Department of Mines —Chairman 2. Chief Mineral Economist/Suptdg. Mineral Economist (Intelligence), Indian Bureau of Mines —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation (including short-term contract).

1	2	3	4	5	6
5. Assistant Mineral Economist (Intelligence)	11*(2003) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group "A" Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 8,000-275-13,500	Selection	35 Years. (Relaxable for Government servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note 1:**—The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from

			6
			candidates in India (And not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

7	8	9	10
Yes	**ESSENTIAL** (i) Master's Degree in Geology or Applied Geology or Economics or Degree in Mining Engineering from a recognised University or its equivalent (ii) Three years experience in resources appraisal, market survey and investigation of economic aspect of mineral resources and production and utilisation of minerals. **NOTE.**—The Qualifications are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. **NOTE.**—The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities prossessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. **Desirable.—** (i) Master's Degree in Mining Engineering/ Doctorate Degree in Geology/Applied Geology/Economics, preferably in the field of mineral economics from a recognised university or equivalent. (ii) Degree in Statistics. (iii) Working knowledge of computers with special emphasis on commonly used software in office.	Age—No. Educational Qualification—Yes	One year for Direct recruits and two years for promotees.

11	12
20 per cent promotion failing which by direct recruitment. 60 per cent by direct recruitment.	**Promotion :** Mineral Officer (Intelligence) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note : Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

13	14
Departmental Promotion Committee for Group "A" (for promotion consisting of) : 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman 2. Joint Secretary/Director, Department of Mines —Member 3. Chief Mineral Economist/Suptdg. Mineral Economist (Intelligence), Indian Bureau of Mines —Member **Departmental Promotion Committee for Group "A" (for confirmation consisting of) :** 1. Joint Secretary/Director, Department of Mines. —Chairman 2. Chief Mineral Economist/Suptdg. Mineral Economist (Intelligence), Indian Bureau of Mines —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

1	2	3	4	5	6
6. Mineral Officer (Intelligence)	5* (2003) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group "B" Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 6500-200-10500	Selection	35 years. (Relaxable for Government servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note 1.**—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (And not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

7	8	9	10
No	**ESSENTIAL.—** (a) (i) Master's Degree in Geology or Applied Geology from a recognised University or its equivalent. (ii) Two years experience in Mining or compilation and processing of data, pertaining to mining or geology or utilisation and marketing of minerals and their products. OR (b) Degree in Mining Engineering from a recognised University or equivalent. **NOTE.**—The Qualifications are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. **NOTE.**—The qualifications regarding experience are relaxable at the Discretion of Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities prossessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. **Desirable.—** (i) Master's Degree in Mining Engineering/ Doctorate Degree in Geology/Applied Geology/Economics preferably in the field of mineral economics from a recognised university of equivalent. (ii) Degree in Statistics. (iii) Working knowledge of computers with special emphasis on commonly used software in office.	Age—No Educational Qualification—No [Educational qualifications to the extent indicated in Column (12)]	One year for direct recruits

11	12
75 per cent promotion failing which by direct recruitment. 25 Per cent by direct recruitment.	**Promotion :** Senior Technical Assistant (Geology) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis; and possessing at least a degree of a recognised University in Science with Geology as a subject from a recognised University or equivalent; or Diploma in Mining Engineering of a recognised Institution or equivalent. **Note :** Where Juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

13	14
Departmental Promotion Committee for Group "B" (for promotion considering of) :- 1. Director (Ore Dressing)/ Chief Mineral Economist, Indian Bureau of Mines —Chairman 2. Superintending Mineral Economist/ Mineral Economist (Intelligence), Indian Bureau of Mines —Member 3. Superintending Ore Dressing Officer/Ore Dressing Officer, Indian Bureau of Mines —Member **Departmental Promotion Committee for Group "A" (for confirmation consisting of) :** 1. Chief Mineral Economist/Suptdg. Mineral Economist (I), Indian Bureau of Mines —Chairman 2. Mineral Economist (Intelligence)/ Deputy Mineral Economist (Intelligence), Indian Bureau of Mines —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

[F. No. 22/3/2001-M. III]
HEM PANDE, Jt. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2003

सा.का.नि. 211.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, क्षेत्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, गुवाहाटी में उप निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम क्षेत्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, गुवाहाटी उप निदेशक पद भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं .**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **आरंभिक गठन.**—इन नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख पर नियमित आधार पर राजकीय विश्लेषक पद धारण करने वाले व्यक्ति उप निदेशक के रूप में पुनःपदाभिहित होंगे और इन नियमों के अधीन नियुक्त हुए समझे जाएंगे ।

6. **शिथिल करने की शक्ति .**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता के आधार पर चयन या चयन-सह-ज्येष्ठता अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
उप निदेशक	01*(2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	10000-325-15200 रु.	लागू नहीं होता	40 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकारी द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	हां

भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान, फार्मेसी, भेषजीय रसायन, जीव रसायन या भेषज गुण विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य। (ii) अनुसंधान या औषधि विश्लेषण/अनुसंधान निदेशन/प्रयोगशाला स्थापित करने और चलाने और विभिन्न शाखाओं के क्रिया कार्यकलापों के समन्वयन का 5 वर्ष का अनभव सहित दो वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।

8	
टिप्पण 1 :—अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :**—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। **वांछनीय :**—किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में डाक्टरेट डिग्री।	

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
प्रतिनियुक्ति/आमेलन (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आमेलन :** केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/पब्लिक उपक्रमों/विश्वविद्यालय/स्वशासीय/कानूनी संगठन/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान/अर्ध सरकारी संगठन के ऐसे अधिकारी :— (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 8000-13000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 8 के अधीन अधिकथित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। **टिप्पण :** (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसमें प्रतिनियुक्ति या संविदा की अवधि भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13		14
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण के लिए) : 1. अपर/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 2. महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं 3. औषधि नियंत्रक	 —अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। जब कि पद पर नियुक्ति की जा सकती है और इन नियमों का संशोधन किया जा रहा है।

[फा. सं. ए-12018/12/98-डी]
नीता केजरीवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 25th April, 2003

G. S. R. 211.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director in the Regional Drugs Testing Laboratory, Guwahati, namely :—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Regional Drugs Testing Laboratory, Guwahati Deputy Director Recruitment Rules, 2003.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these Rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Initial constitution.—The person holding on regular basis, on the date of commencement of these rules, the post of Government analyst shall be re-designated as Deputy Director and shall be deemed to have benn appointed under thsese rules.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection by merit or selection-cum-Seniority or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6	7
Deputy Director	1* (2000) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 10000-325-15200	Not applicable	Not exceeding 40 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.	Yes

6
NOTE.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualification required for direct recruitment	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion/deputation/ absorption to be made.
8	9	10	11	12
Essential : (i) Master Degree in Chemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Biochenistry or Pharmacology or Microbiology from a recognized University or equivalent. (ii) 5 years experience in research and analysis of drugs/directing research/setting up and running of a laboratory and coordinating the activities of its different branches inculding two years administrative experience.	Not applicable	1 year for diect recruits	By deputation/ absorption (including short term contract) failing which by direct recruitment	Deputation (including short term contract)/Absorption : Officers under the Central Government/Union Territories/ Public Undertaking/Universities/Autonomous or Statutory Organisation/ Recognised Research Institutions/Semi-Govt. (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 5 years regular service in posts in the scale of Rs. 8000-13,500 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience as laid down for direct recruits under Cloumn 8. Note (i) Period of deputation/ Contract including period

8	12
Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. **Desirable :** Doctorate degree in the relevant subject from a recognized university/ institution.	of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation/ department of Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contact)/absorption shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of the applications). **Note :** Officer holding the post of Government analyst to Government of Assam on the date of notification of these rules shall be deemed to have been absorbed in the post of Deputy Director in Regional Director Testing Laboratory, Guwahati. **Note :** Only officers belonging in to Central/State Government/Union Territory are eligible to be absorbed for appointment on absorption.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation) (1) Additional/Jt. Secretary, Ministry of Health and Family Welfare. —Chairman (2) Director/General of Health Services —Member (3) Drugs Controller (India) —Member	Consultation with the Union Public Service Commission shall be necessary while making Appointment to the post and while amending these rules.

[F. No. A-12018/12/98-D]

NITA KEJERIWAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2003

सा० का० नि० 212.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रादेशिक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, गुवाहटी (कार्यालय अधीक्षक) भर्ती नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रादेशिक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, गुवाहटी (कार्यालय अधीक्षक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रादेशिक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, गुवाहाटी (कार्यालय अधीक्षक) भर्ती नियम, 2001 की अनुसूची के स्तंभ 12 के अधीन शीर्षक "प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति" के अन्तर्गत खंड (क) के मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(ii) जिन्होंने 5000-8000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 3 वर्ष नियमित सेवा की है, या"

[फा० सं० ए० 12018/13/98-डी]

नीता केजरीवाल, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 22 तारीख 31 दिसंबर, 2001 को प्रकाशित किए गए ।

New Delhi, the 25th April, 2003

G.S.R. 212.—In exercise of the powers conferred by the provisio to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Regional Drugs Testing Laboratory, Guwahati (Office Superintendent) Recruitment Rules, 2001 namely :—

1. (1) These rules may be called the Regional Drugs Testing Laboratory, Guwahati (Office Superintendent) Recruitment (Amendment) Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule of Regional Drugs Testing Laboratory, Guwahati (Office Superintendent) Recruitment Rules, 2001, in column 12 under the heading "Promotion/Deputation" in clause (a), for item (ii), the following item shall be substituted, namely :—

"(ii) with three years' regular service in posts in the scale of pay of Rs. 5000-8000 or equivalent; or".

[F. No. A-12018/13/98-D]

NITA KEJERIWAL, Under Secy.

Footnote : The principal rules were published vide G.S.R. 22 dated the 31st December, 2001.

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2003

सा.का.नि. 213.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन क्षेत्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, चण्डीगढ़, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम क्षेत्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, चण्डीगढ़, (कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक) समूह "ग" पद भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **प्रारंभिक संविधान.**—इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को नियमित आधार पर सरकारी विश्लेषक के पद के धारक को उप निदेशक के रूप में पदाभिहीत किया जाएगा और इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया समझा जाएगा ।

6. **शिथिल करने की शक्ति .**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति .**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	3* (2003) *(कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' राजपत्रित अननुसचिवीय	5000-150-8000 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	30 वर्ष तक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है) । **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन या फार्मेसी या सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान या जैव रसायन या औषध निर्माण या रसायन विज्ञान में डिग्री या समतुल्य ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण** : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पद चले जाने या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी पर रहने या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी द्वारा भरी जाएगी : (क)(i) जो सदृश पद धारण किए हुए है, या (ii) जिन्होंने 4500-7000 रु. के वेतनमान में पांच वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है ।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार के लिए) 1. निदेशक, क्षेत्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, चंडीगढ़ —अध्यक्ष 2. उप नियंत्रक औषधि (भारत) —सदस्य 3. निदेशक प्रशासन (औषधि) —सदस्य 3. ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-I, चंडीगढ़ —सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. ए-12018/7/02-डी]
नीता केजरीवाल, अवर सचिव

New Delhi, the 17th April, 2003

G. S. R. 213.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of Recruitment to the post of Junior Scientific Assistant, Regional Drugs Testing Laboratory, Chandigarh, under the Directorate General of Health Services, namely :—

1. Short title and commencement .—(1) These rules may be called the Regional Drugs Testing Laboratory, Chandigarh (Junior Scientific Assistant), Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to this notification.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification .—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for such doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Initial Constitution.**—The person holding on regular basis, on the date of commencement of these rules, the post of Government analyst shall be re-designated as Deputy Director and shall be deemed to have been appointed under thsese rules.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Junior Scientific Assistant	3* (2003) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 5000-150-8000	Not applicable	No	Up to 30 years. (Relaxable for Government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard. **NOTE.**—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualification required for direct recruitment	Whether age and essential qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion/deputation/ absorption to be made.
8	9	10	11	12
Degree in Chemistry or Pharmacy or Microbiology or Biochemistry or Pharmaceutical Chemistry or equivalent from recognized University.	Not applicable	Two years	By direct recruitment. Note.—Vacancies caused by the incumbent being on deputation, or long illness or study leave or under other circumtances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government or State Government. (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with 5 years regular service in posts in the scale of Rs. 4500-7000; and (b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under Cloumn 8.	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :	Not applicable
(1) Director, Regional Drugs Testing Laboratory, Chandigarh,	—Chairman
(2) Deputy Drugs Controller (India)	—Member
(3) Director Administration (Drug)	—Member
(4) Senior Scientific Officer Grade-I Chandigarh	—Member

[F. No. A-12018/7/02-D]

NITA KEJERIWAL, Under Secy.

पोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 मई, 2003

सा. का. नि. 214.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नौवहन महानिदेशालय और वाणिज्यिक समुद्री विभाग (समूह क तकनीकी पद) भर्ती नियम, 1987 को जहां तक उनका संबंध भारत सरकार का मुख्य सर्वेक्षक, प्रधान अधिकारी (इंजीनियरी), उप मुख्य सर्वेक्षक, उप मुख्य पोत सर्वेक्षक, इंजीनियर और पोत सर्वेक्षक, पोत सर्वेक्षक और कनिष्ठ पोत सर्वेक्षक के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, पोत परिवहन मंत्रालय के नौवहन महानिदेशालय और वाणिज्यिक समुद्री विभाग में समूह क (तकनीकी) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नौवहन महानिदेशालय और वाणिज्यिक समुद्री विभाग समूह क (इंजीनियरी) पद भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता के आधार पर चयन या चयन-सह-ज्येष्ठता अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
मुख्य सर्वेक्षक	1* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	22,400-525-24,500 रु.	योग्यता द्वारा चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए

	6
	नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
7	8
हाँ परंतु यदि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अधिकारी अपनी इस नियुक्ति से पहले केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, या संघ राज्य क्षेत्र सरकार या इनमें से किसी सरकार या प्रशासन के किसी स्वायत्तशासी निकाय के अधीन पद धारण किए हुए है या जहाँ उसे केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा वर्षों को जोड़ने का फायदा दिया गया हो और केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र सरकार या इनमें से किसी सरकार या प्रशासन के अधीन किसी स्वायत्तशासी निकाय में की गई इस सेवा की अवधि की गणना को भारत सरकार में की गई सेवा के साथ जोड़ने का फायदा दिया गया हो तो फिर यह फायदा अनुज्ञेय नहीं होगा	**आवश्यक :** (i) उसके पास अतिरिक्त प्रथम श्रेणी इंजीनियर की योग्यता का प्रमाणपत्र हो और विदेशगामी पोतों और ऐसे पोतों के फलक पर लगे उपस्करों के सर्वेक्षण और निरीक्षण का 14 वर्ष का अनुभव हो : या प्रथम श्रेणी इंजीनियर का योग्यता प्रमाणपत्र हो और विदेशगामी पोतों और ऐसे पोतों के फलक पर लगे उपस्करों के सर्वेक्षण और निरीक्षण का 16 वर्ष का अनुभव हो; या विश्व समुद्रीय विश्वविद्यालय, माल्मो, स्वीडन सहित किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से समुद्री मामलों में एम. एस. सी. या इसके समतुल्य कोई अन्य डिग्री प्राप्त की हो और विदेशगामी पोतों और ऐसे पोतों के फलक पर लगे उपस्करों के निरीक्षण और सर्वेक्षण का 18 वर्ष का अनुभव हो; (ii) विदेशगामी पोतों की कमांड का 1 वर्ष का अनुभव हो **टिप्पण :** 1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग/के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण :** 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग/के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है(हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग/की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
9	10	11
आयु : नहीं शैक्षिक योग्यता : हाँ **टिप्पण :** इन नियमों की अधिसूचना जारी होने की तारीख को विद्यमान प्रधान अधिकारी (इंजीनियरिंग) के पद धारण करने वाले अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए लागू संशोधित शैक्षिक अर्हताओं से छूट दी जाएगी।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13	14
प्रोन्नति : ऐसा प्रधान अधिकारी (इंजीनियरिंग) जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	**समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति** **(प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :** 1. अध्यक्ष/संदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय —सदस्य **समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति** **(पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) :** 1. सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय —अध्यक्ष 2. नौवहन महानिदेशक —सदस्य	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6
2. प्रधान अधिकारी (इंजीनियरिंग)	2* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकती है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	18,400-500-22,400 रु.	योग्यता द्वारा चयन	उम्मीदवार की उम्र 50 वर्ष से अधिक न हो (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

7	8
हाँ परंतु यदि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अधिकारी अपनी इस नियुक्ति से पहले केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, या संघ राज्य क्षेत्र सरकार या इनमें से किसी सरकार या प्रशासन के किसी स्वायत्तशासी निकाय के अधीन पद धारण किए हुए हैं या जहाँ उसे केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा वर्षों को जोड़ने का फायदा दिया गया हो और केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, या संघ राज्य क्षेत्र सरकार या इनमें से किसी सरकार या प्रशासन के अधीन किसी स्वायत्तशासी	**आवश्यक :** (i) उसके पास अतिरिक्त प्रथम श्रेणी इंजीनियर की योग्यता का प्रमाणपत्र हो और विदेशगामी पोतों और ऐसे पोतों के फलक पर लगे उपस्करों के सर्वेक्षण और निरीक्षण का 11 वर्ष का अनुभव हो, या प्रथम श्रेणी इंजीनियर की योग्यता प्रमाणपत्र हो और विदेशगामी पोतों और ऐसे पोतों के फलक पर लगे उपस्करों के सर्वेक्षण और निरीक्षण का 13 वर्ष का अनुभव हो; या विश्वसमुद्रीय विश्वविद्यालय, माल्मो, स्वीडन सहित किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से समुद्री मामलों में एम. एस. सी. या इसके समतुल्य

7	8
निकाय में की गई इस सेवा की अवधि की गणना को भारत सरकार में की गई सेवा के साथ जोड़ने का फायदा दिया गया हो तो फिर यह फायदा अनुज्ञेय नहीं होगा।	कोई अन्य डिग्री प्राप्त की हो और विदेशगामी पोतों और ऐसे पोतों के फलक पर लगे उपस्करों के निरीक्षण और सर्वेक्षण का 15 वर्ष का अनुभव हो; (ii) विदेशगामी पोतों की कमांड का 1 वर्ष का अनुभव हो। **टिप्पण 1:**— अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:**— अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है(हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

9	10	11
आयु : नहीं शैक्षिक योग्यता : हाँ **टिप्पण :** इन नियमों की अधिसूचना जारी होने की तारीख में विद्यमान उप मुख्य सर्वेक्षक के पद धारण करने वाले अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए लागू संशोधित शैक्षिक अर्हताओं से छूट दी जाएगी।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

12	13	14
प्रोन्नति : ऐसा उप मुख्य सर्वेक्षक जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	**समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति** **(प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)** 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. सचिव/अपर सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय —सदस्य 3. नौवहन महानिदेशक —सदस्य **समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति** **(पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए)** 1. सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय —अध्यक्ष 2. नौवहन महानिदेशक —सदस्य	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6
3. उप मुख्य सर्वेक्षक	6* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	14,300-400-18,300 रु.	योग्यता द्वारा चयन	उम्मीदवार की उम्र 50 वर्ष से अधिक न हो (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से

6
आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

7	8
हाँ परंतु यदि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अधिकारी अपनी इस नियुक्ति से पहले केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, या संघ राज्य क्षेत्र सरकार या इनमें से किसी सरकार या प्रशासन के किसी स्वायत्तशासी निकाय के अधीन पद धारण किए हुए है या जहाँ उसे केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा वर्षों को जोड़ने का फायदा दिया गया हो और केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, या संघ राज्य क्षेत्र सरकार या इनमें से किसी सरकार या प्रशासन के अधीन किसी स्वायत्तशासी निकाय में की गई इस सेवा की अवधि की गणना को भारत सरकार में की गई सेवा के साथ जोड़ने का फायदा दिया गया हो तो फिर यह फायदा अनुज्ञेय नहीं होगा।	**आवश्यक** : (i) उसके पास अतिरिक्त प्रथम श्रेणी इंजीनियर का योग्यता प्रमाणपत्र हो और विदेशगामी पोतों और ऐसे पोतों के फलक पर लगे उपस्करों के सर्वेक्षण और निरीक्षण का 8 वर्ष का अनुभव हो; या प्रथम श्रेणी इंजीनियर का योग्यता प्रमाणपत्र हो और विदेशगामी पोतों और ऐसे पोतों के फलक पर लगे उपस्करों के सर्वेक्षण और निरीक्षण का 10 वर्ष का अनुभव हो; या विश्वसमुद्रीय विश्वविद्यालय, माल्मो, स्वीडन सहित किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से समुद्री मामलों में एम. एस. सी. या इसके समतुल्य कोई अन्य डिग्री प्राप्त की हो और विदेशगामी पोतों और ऐसे पोतों के फलक पर लगे उपस्करों के निरीक्षण और सर्वेक्षण का 12 वर्ष का अनुभव हो; (ii) विदेशगामी पोतों की कमांड का 1 वर्ष का अनुभव हो। **टिप्पण : 1.** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथित की जा सकती है। **टिप्पण : 2.** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है(हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

9	10	11
आयु : नहीं शैक्षिक योग्यता : हाँ **टिप्पण** : इन नियमों की अधिसूचना जारी होने की तारीख में विद्यमान इंजीनियर और पोत सर्वेक्षक के पद धारण करने वाले अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए लागू संशोधित शैक्षिक अर्हताओं से छूट दी जाएगी।	**सीधी भर्ती किए गये व्यक्तियों के लिए एक वर्ष**	**प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा**

12	13	14
प्रोन्नति : ऐसा इंजीनियर और पोत सर्वेक्षक जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर	**समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)** 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष	**सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।**

12	13	14
ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	2. सचिव/अपर सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय —सदस्य 3. नौवहन महानिदेशक —सदस्य 4. पोत परिवहन के प्रभारी संयुक्त सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय —सदस्य **समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए)** 1. सचिव/उपर सचिव पोत परिवहन मंत्रालय —अध्यक्ष 2. नौवहन महानिदेशक —सदस्य 3. पोत परिवहन के प्रभारी संयुक्त सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय —सदस्य	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6
4. इंजीनियर और पोत सर्वेक्षक	24* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	12,000-375-16,500 रु.	लागू नहीं होता	उम्मीदवार की उम्र 50 वर्ष से अधिक न हो (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

7	8
हाँ परंतु यदि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अधिकारी अपनी इस नियुक्ति से पहले केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, या संघ राज्य क्षेत्र सरकार या इनमें से किसी सरकार या प्रशासन के किसी स्वायत्तशासी निकाय के अधीन पद धारण किए हुए है या जहाँ उसे केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा वर्षों को जोड़ने का फायदा दिया गया हो और केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र सरकार या इनमें से किसी सरकार या प्रशासन के अधीन किसी स्वायत्त-शासी निकाय में की गई इस सेवा की अवधि की गणना को भारत सरकार में की गई सेवा के साथ जोड़ने का फायदा दिया गया हो तो फिर यह फायदा अनुज्ञेय देय नहीं होगा	**आवश्यक** : (i) उसके पास प्रथम श्रेणी इंजीनियर का योग्यता प्रमाणपत्र (स्टीम और मोटर) हो और पोत पर 8 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो जिसमें से एक वर्ष तक पोत के मुख्य इंजीनियर या द्वितीय इंजीनियर के रूप में कार्य किया हो, या विश्व समुद्रीय विश्वविद्यालय, माल्मो, स्वीडन सहित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समुद्री मामलों में एम. एस. सी. या इसके समतुल्य कोई अन्य डिग्री प्राप्त की हो और किसी पोत पर डैक अधिकारी के रूप में दस वर्ष की सेवा पूर्ण की हो जिसमें से एक वर्ष तक विदेशगामी पोत के मुख्य अधिकारी के रूप में कार्य किया हो। **वांछनीय** : अतिरिक्त प्रथम श्रेणी इंजीनियर का योग्यता प्रमाणपत्र हो और पोत पर छह वर्ष की सेवा पूर्ण की हो जिसमें से एक वर्ष तक मुख्य इंजीनियर या द्वितीय इंजीनियर के रूप में कार्य किया हो।

8
टिप्पण : 1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।
टिप्पण : 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

9	10	11
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	75% सीधी भर्ती द्वारा और 25% प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसमें अल्प कालीन संविदा/आमेलन भी है)

12	13	14
प्रतिनियुक्ति/आमेलन (जिसमें अल्प कालीन संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/पत्तन न्यास आदि के ऐसे अधिकारी : (क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (2) जिन्होंने 1000-15200 रुपए समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है, या (ख) जिसके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। **टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	**समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए)** 1. नौवहन महानिदेशक —अध्यक्ष 2. प्रभारी संयुक्त सचिव (पोत परिवहन,) पोत परिवहन मंत्रालय —सदस्य 3. पोत परिवहन मंत्रालय में पोत परिवहन महानिदेशालय के पोत परिवहन प्रशासन का कार्य देखने वाले निदेशक/उप सचिव —सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6
5. उप मुख्य पोत सर्वेक्षक	2* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	14,300-400-18,300 रु.	योग्यता द्वारा चयन	उम्मीदवार की उम्र 50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पणी** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

7	8
हाँ परंतु यदि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अधिकारी अपनी इस नियुक्ति से पहले केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र सरकार या इनमें से किसी सरकार या प्रशासन स्वायत्तशासी निकाय के अधीन पद धारण किए हुए है या जहाँ उसे केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा वर्षों को जोड़ने का फायदा दिया गया हो और केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, या संघ राज्य क्षेत्र सरकार या इनमें से किसी सरकार या प्रशासन के अधीन किसी स्वायत्तशासी निकाय में की गई इस सेवा की अवधि की गणना को भारत सरकार में की गई सेवा के साथ जोड़ने का फायदा दिया गया हो तो फिर यह फायदा अनुज्ञेय देय नहीं होगा।	**आवश्यक** : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नेवल वास्तुकला में डिग्री या समतुल्य, (ii) पोतों की डिजाइन निर्माण तथा मरम्मत संबंधी कार्य का 12 वर्ष का अनुभव। **टिप्पण : 1.** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथित की जा सकती है। **टिप्पण : 2.** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है(हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

9	10	11
आयु : नहीं शैक्षिक योग्यता : हाँ	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

12	13	14
प्रोन्नति : ऐसे पोत सर्वेक्षक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके	**समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)** 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. सचिव/अपर सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय —सदस्य 3. नौवहन महानिदेशक —सदस्य	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

12	13	14
द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	4. पोत परिवहन के प्रभारी संयुक्त सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय —सदस्य **समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए)** 1. सचिव/अपर सचिव पोत परिवहन मंत्रालय —अध्यक्ष 2. नौवहन महानिदेशक —सदस्य 3. पोत परिवहन के प्रभारी संयुक्त सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय —सदस्य	

1	2	3	4	5	6	7	8
6. पोत सर्वेक्षक	5* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	12,000-375-16,500 रु.	लागू नहीं होता	40 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	हाँ परंतु यदि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अधिकारी अपनी इस नियुक्ति से पहले केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, या संघ राज्य क्षेत्र सरकार या इनमें से किसी सरकार या प्रशासन के किसी स्वायत्तशासी निकाय के अधीन पद धारण किए हुए है या जहाँ उसे केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा वर्षों को जोड़ने का फायदा दिया गया हो और केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, या संघ राज्य क्षेत्र सरकार या इनमें से किसी सरकार या प्रशासन के अधीन किसी स्वायत्तशासी निकाय में की गई इस सेवा की अवधि की गणना को भारत सरकार में की गई सेवा के साथ जोड़ने का फायदा दिया गया हो तो फिर यह फायदा अनुज्ञेय देय नहीं होगा।	**आवश्यक** : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से नेवल वास्तुकला में डिग्री या समतुल्य, (ii) डिग्री पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान पोतों के निर्माण अथवा पोत मरम्मत यार्ड में पोतों की डिजाइन, निर्माण तथा मरम्मत संबंधी कार्यों का 10 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। **टिप्पण : 1.** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथित की जा सकती हैं। **टिप्पण : 2.** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है(हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

9	10	11
लागू नहीं होता	1 वर्ष (सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष)	20 प्रतिशत प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्प कालिक संविदा भी है द्वारा और 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

12	13	14
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्प कालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/विश्वविद्यालयों/पत्तन न्यास आदि के ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने 10000-15200 रुपए या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है, या (ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। **टिप्पण** : 1 ऐसे विभागीय कनिष्ठ पोत सर्वेक्षक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष तक नियमित सेवा की है वे प्रतिनियुक्ति व्यक्तियों के साथ विचार में लिए जाएंगे और यदि उनका चयन होता है तब बीस प्रतिशत पद प्रोन्नति द्वारा भरे गए समझे जाएंगे। **टिप्पण** : 2 पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	**समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए)** 1. सचिव/अपर सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय —अध्यक्ष 2. नौवहन महानिदेशक —सदस्य 3. पोत परिवहन के प्रभारी संयुक्त सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय —सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6
7. कनिष्ठ पोत सर्वेक्षक	1* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	10,000-325-15,200 रु.	लागू नहीं होता	40 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

7	8
नहीं	**आवश्यक :** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नेवल वास्तुकला में डिग्री या समतुल्य, (ii) डिग्री पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान पोतों के निर्माण अथवा पोत मरम्मत यार्ड में पोतों की डिजाइन, निर्माण तथा मरम्मत संबंधी कार्य का पांच वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। **टिप्पण** : 1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण** : 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

9	10	11
लागू नहीं होता	1 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

12	13	14
लागू नहीं होता	**समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए)** 1. नौवहन महानिदेशक —अध्यक्ष 2. पोत परिवहन के प्रभारी संयुक्त सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय —सदस्य 3. पोत परिवहन मंत्रालय में पोत परिवहन महानिदेशालय के प्रशासन के काम से संबंधित निदेशक/उप सचिव —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. ए-11011/9/99-एम ए]

आर. एस. बिष्ट, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi, the 13th May, 2003

G.S.R. 214.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supresession of the Directorate General of Shipping and Merchantile Marine Departments (Group A Technical Posts) Recruitment Rules, 1987 in so far as they relate to the posts of Chief Surveyor with the Government of India, Principal officer (Engineering), Deputy Chief Surveyor, Deputy Chief Ship Surveyor, Engineer and Ship Surveyor, Ship Surveyor and Junior Ship Surveyor, except as respects thing done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to group 'A' (Technical) posts in the Directorate General of Shipping and Mercantile Marine Departments, in the Ministry of shipping, namely :—

1. Short title and commencement.— (i) These rules may be called the Directorate General of Shipping and Merchantile Marine Departments Group 'A' (Engineering) Posts Recruitment Rules 2003. (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Scheduled annexed to these rules..

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.— Method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Nane of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection-cum seniority or selection by merit or Non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
1. Chief Surveyor	1* (2003) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "A" Gazetted Non-Ministerial	Rs. 22400-525-24500/-	Selection by merit	Not exceeding 50 years. (Relaxable for Government Servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from

1	2	3	4	5	6
					candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Whether benefit of added years of service is admissible under Rule 30 of Central Civil Services (Pension) rules 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Yes Provided that this benefit, shall not be admissible if such a direct recruit before his appointment to the post has held a post under the Central or a State Government or a State Government or a Union territory Administration or in an Autonomous Body under any such Government where he has been given the benefit of added years of service under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972 or has been given the benefit of counting that period of service rendered under the Central Government/State	**Essential :** (i) Extra First Class Engineer's Certificate of Competency with 14 years of experience in survey and inspection of foreign going ships and equipment on board such ships; or First Class Engineer's Certificate of Competency with 16 years experience in survey and inspection of foreign going ships and equipment on board such ships; or M.Sc. degree in Maritime Affairs or its equivalent degree awarded by a recognised university including World Maritime University, Malmo, Sweden, with 18 years of experience in survey and inspection of foreign going ships and equipment on board such ships; (ii) One year experience in command of foreign going ships. **Note 1:**—Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwiase well qualified.	Age—No. Educational Qualification—Yes **Note :** The existing Principal Officers (Engineering) holding the post on the date of notification of these rules are exempted from possessing the revised educational qualifications for direct recruits.	One year for direct recruits

7	8	9	10
Government or a Union territory Adminstration or an Autonomous Body under any such Government with the Government of India service.	**Note 2:** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the required experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.		

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grade from which promotion/deputation/absortion to be made
11	12
Promotion failing which by direct recruitment.	**Promotion :** Principal Officer (Engineering) with three years regular service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
13	14
Group "A" Departmental Promotion Committee (for considering promotion) : 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman 2. Secretary, Ministry of Shipping —Member **Group "A" Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :** 1. Secretary, Ministry of Shipping —Chairman 2. Director General of Shipping —Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recritment.

1	2	3	4	5	6
2. Principal Officer (Engineering)	2* (2003) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "A" Gazetted Non-Ministerial	Rs. 18400-500-22400/-	Selection by merit	Not exceeding 50 years. (Relaxable for Government Servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

7	8	9	10
Yes Provided that this benefit, shall not be admissible if such a direct recruit before his appointment to the post has held a post under the Central or a State Government or a Union Territory Administration or in an Autonomous Body under any such Government where he has been given the benefit of added years of service under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972 or has been given the benefit of counting that period of service rendered	**Essential :** (i) Extra First Class Engineer's Certificate of Competency with 11 years of experience in survey and inspection of foreign going ship and equipment on board such ships; or First Class Engineer's Certificate of Competency with 13 years experience in survey and inspection of foreign going ships and equipment on board such ships; or M.Sc. degree in Maritime Affairs or its equivalent degree awarded by a recognised university including World Maritime University, Malmo, Sweden, with 15 years of experience in survey and inspection of foreign going ships and equipment on board such ships; (ii) One year experience in command of foreign going ships. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union	Age—No. Educational Qualification—Yes **Note :** The existing Deputy Chief Surveyor holding the post on the date of notification of these rules are exempt ed from possessing the revised educational qualifications for direct recruits.	One year for direct recruits

7	8
under the Central Government/State Government or a Union Territory Administration or an Autonomous Body under any such Government with the Government of India service.	Public Service Commission in case of candidates otherwiase well qualified. **Note 2:**—The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the required experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

11	12
Promotion failing which by direct recruitment.	**Promotion :** Deputy Chief Surveyor with three years regular service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

13	14
Group "A" Departmental Promotion Committee (for considering promotion) : 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman 2. Secretary/Additional Secretary, Ministry of Shipping —Member 3. Director General of Shipping —Member **Group "A" Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :** 1. Secretary, Ministry of Shipping —Chairman 2. Director General of Shipping —Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recritment.

1	2	3	4	5	6
3. Deputy Chief Surveyor	6* (2003) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group "A" Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 14300-400-18300/-	Selection by merit	Not exceeding 50 Years. (Relaxable for Government Servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :**—The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date perscribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

7	8	9	10
Yes Provided that this benefit shall not be admissible if such a direct recruit before his appointment to the post has held a post under the Central or a State Government or a Union Territory Administration or in an Autonomous Body under any such Government where he has been given the benefit of added years of service under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972 or has been given the benefit of counting that period of service rendered under the Central Government/State Government or a Union Territory	**Essential** (i) Extra First Class Engineer's Certificate of Competency with 8 years of experience in survey and inspection of foreign going ships and equipment on board such ships; or First Class Engineer's Certificate of Competency with 10 years experience in survey and inspection of foreign going ships and equipment on board such ships; or M.Sc. degree in Maritime Affairs or its equivalent degree awarded by a recognised university including World Maritime University, Malmo, Sweden, with 12 years of experience in survey and inspection of foreign going ships and equipment on board such ships; (ii) One year experience in command of foreign going ships. **Note 1:**—Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.	Age—No. Educational Qualification—Yes **Note :**—The existing Engineers and Ship Surveyor holding the post on the date of notification of these rules are exempted from possessing the revised educational qualifications for direct recruits.	One year for Direct Recruits

7	8
Administration or an Autonomous Body under any such Government with the Government of India service.	**Note 2:**—The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the required experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

11	12
Promotion failing which by direct recruitment.	**Promotion :** Engineer and Ship Surveyor with five years regular service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

13	14
Group "A" Departmental Promotion Committee (for considering promotion) : 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman 2. Secretary, Additional Secretary, Ministry of Shipping —Member 3. Director General of Shipping —Member 4. Joint Secretary In-charge of Shipping Ministry of Shipping —Member **Group "A" Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :** 1. Secretary, Additional Secretary, Ministry of Shipping —Chairman. 2. Director General of Shipping —Member 3. Joint Secretary In-charge of Shipping, Ministry of Shipping —Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment.

1	2	3	4	5	6
4. Engineer and Ship Surveyor	24* (2003) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group "A" Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 12000-375-16500/-	Not applicable	Not exceeding 50 Years. (Relaxable for Government Servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :**—The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (except for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

7	8	9	10
Yes Provided that this benefit, shall not be admissible if such a direct recruit before his appointment to the post has held a post under the Central or a State Government or a State Government or a Union territory Administration or in an Autonomous Body under any such Government where he has been given the benefit of added years of service under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972 or has been given the benefit of counting that period of service	**Essential** (i) Extra First Class Engineer's Certificate of Competency (Steam and Motor) with 8 years of service at Sea of which one year must have been as Chief Engineer or Second Engineer ; or M.Sc. degree in Maritime Affairs or its equivalent degree awarded by a recognised university including World Maritime University, Malmo Sweden, with 10 years service as Deck Officer of which one year must have been in the capacity of a chief officer on a foreign going ship. **Desirable** Extra First Class Engineer's Certificate of competency with 6 years service at Sea of which one year must have been as Chief Engineer or Second Engineer. **Note 1:**—Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:**—The qualification(s) regarding experience is/are relax-	Not Applicable	One year for Direct Recruits

7	8
rendered under the Central Government/ State Government or a Union territory Administration or an Autonomous Body under any such Government with the Government of India service	able at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the required experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

11	12
75% by direct recruitment and 25% by deputation (including Short term contract/absorption	Deputation/Absorption (including short term contract) Officers of the Central Government/State Government/Union Territory Administration/Public Sector Undertakings/ Universities/Recognised Research Institutes/ Port Trusts etc. (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 5 years regular service in posts in the scale of Rs 10000-15200 or equivalent ; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8. **Note :** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall not ordinarily exceed four years. The maximum age limit for appointment for deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

13	14
Group "A" Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) : 1. Director General of Shipping —Chairman 2. Joint Secretary In-charge of Shipping, Ministry of Shipping —Member 3. Director/Deputy Secretary, dealing with administration of the Directorate General of Shipping in the Ministry of Shipping —Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

1	2	3	4	5	6
5. Deputy Chief Ship Surveyor	2* (2003) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "A" Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 14300-400-18300/-	Selection by merit.	Not exceeding 50 years. (Relaxable for Government Servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

6
Note :—The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

7	8	9	10
Yes Provided that this benefit, shall not be admissible if such a direct recruit before his appointment to the post has held a post under the Central or a State Government or a Union territory Administration or in an Autonomous Body under any such Government where he has been given the benefit of added years of service under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972 or has been given the benefit of counting that period of service rendered under the Central Government/State Government or a Union Territory Administration or an Autonomous Body under any such Government with the Government of India service.	**Essential :** (i) Degree in Naval Architecture from a recognised University of equivalent (ii) 12 years experience in design, construction and repairs of ships **Note 1:**—Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:**—The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the required experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Age—No. Educational Qualification—Yes	One year for direct recruits

11	12
Promotion failing which by direct recruitment	**Promotion :** Ship Surveyors with five years regular service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

13	14
Group "A" Departmental Promotion Committee (for considering promotion) : 1. Chairman/ Member, Union Public Service Commission —Chairman. 2. Secretary/Additional Secretary, Ministry of Shipping —Member. 3. Director General of Shipping —Member. 4. Joint Secretary In-charge of Shipping, Ministry of Shipping —Member. **Group 'A' Department Promotion Committee (for considering confirmation)** 1. Secretary/Additional Secretary, Ministry of Shipping —Chairman 2. Director General of Shipping —Member. 3. Joint Secretary In-charge of Shipping, Ministry of Shipping —Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment.

1	2	3	4	5	6
6. Ship Surveyor	5* (2003) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group "A" Gazetted (Non-Ministerial)	Rs.12000-375-16500/-	Not applicable	Not exceeding 40 Years. (Relaxable for Government Servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :**—The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Mizoram, Manipur, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

7	8	9	10
Yes Provided that this benefit, shall not be admissible if such a direct recruit before his appointment to the post has held a post under the Central or a State Government or a Union Territory Administration or in an Autonomous Body under any such Government where he has been given the benefit of added years of service under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972 or has been given the benefit of counting that period of service rendered under the Central Government/State Government or a Union Territory Administration or an Autonomous Body under any such Government with the Government of India service.	**Essential :** (i) Degree in Naval Architecuture from a recognised University or equivalent. (ii) 10 years practical experience in design construction and repair of ships carried out in ship building or ship repairing yards during the period of degree course. **Note 1:**—Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:**—The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the required experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Not Applicable	One year for Direct Recruits

11	12
20% by promotion/deputation including short term contract and 80% by direct recruitment.	**Promotion/deputation (including short term contract) :** Officers of the Central Government/State Government Union Territory Administration/Public Sector Undertaking/Port Trusts: (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years regular service in the grade of Rs. 10,000-15,200; and (b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column 8. **Note 1:** The Departmental Junior Ship surveyor with five years regular service in the grade shall also be considered alongwith deputationists and if selected the 20% of the post shall be deemed to have been filled by promotion.

12
Note 2 : The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion (period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.) The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

13	14
Group "A" Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) : 1. Secretary/Additional Secretary, Ministry of Shipping —Chairman. 2. Director General of Shipping —Member. 3. Joint Secretary In-charge of Shipping, Ministy of Shipping —Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each Occasion.

1	2	3	4	5	6
7. Junior Ship Surveyor	1* (2003) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group "A" Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 10,000-325-15200/-	Not applicable	Not exceeding 40 Years. (Relaxable for Government Servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note :—The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

7	8	9	10
No	**Essential :** (i) Degree in Naval Architecuture from a recognised University or equivalent. (ii) 5 years experience in design, construction and repairs of ships including any practical training carried out in ship-building or ship repairing yards during the period of degree course. **Note 1:**—Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwiase well qualified. **Note 2:**—The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the required experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Not Applicable	One year

11	12
By direct recruitment.	Not applicable

13	14
Group "A" Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) : 1. Director General of Shipping —Chairman 2. Joint Secretary In-charge of Shipping, Ministry of Shipping —Member 3. Director/Deputy Secretary dealing with administration of the Directorate General of Shipping in the Ministry of Shipping —Member	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. A-11011/9/99-MA]

R. S. BISHT, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2003

सा.का.नि. 215.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नौवहन महानिदेशालय और वाणिज्यिक समुद्री विभाग (समूह क तकनीकी पद) भर्ती नियम, 1987 को जहां तक उनका संबंध भारत सरकार का सामुद्रिक सलाहकार प्रधान अधिकारी (सामुद्रिक), उप सामुद्रिक सलाहकार, नॉटिकल सर्वेक्षक, के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, पोत परिवहन मंत्रालय के नौवहन महानिदेशालय और समुद्री वाणिज्यिक विभाग में समूह क (तकनीकी) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पोत परिवहन महानिदेशालय और वाणिज्यिक समुद्री विभाग समूह क (सामुद्रिक) पद भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता के आधार पर चयन या चयन सह ज्येष्ठता अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
सामुद्रिक सलाहकार, भारत सरकार	1* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	22,400-525-24,500/- रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
7	8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13	14
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/पत्तन न्यासों, पब्लिक सेक्टर की पोत परिवहन कम्पनियों के ऐसे अधिकारी : (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने 18400-22400/- रुपए या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं हैं, अर्थात् :—(i) विदेशगामी पोतों और ऐसे पोतों पर लगे पोत उपस्करों के सर्वेक्षण और निरीक्षण में 14 वर्ष का अनुभव और अतिरिक्त मास्टर योग्यता प्रमाणपत्र, या विदेशगामी पोतों और ऐसे पोतों पर लगे पोत उपस्करों के सर्वेक्षण और निरीक्षण में 16 वर्ष के अनुभव सहित मास्टर योग्यता प्रमाणपत्र, या समुद्रीय विश्वविद्यालय, माल्मो सहित मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एस.सी. डिग्री या समतुल्य और विदेशगामी पोतों और ऐसे पोतों पर लगे उपस्करों के सर्वेक्षण और निरीक्षण का 18 वर्ष का अनुभव । (ii) विदेशगामी पोतों की कमान संभालने का एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1 :** इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को रुपए 18400-22400/- के वेतनमान में जिन विभागीय प्रधान अधिकारियों (नॉटिकल) की इस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी हो चुकी है तथा जो नीचे उपदर्शित अनुभव और शैक्षिणिक योग्यताएं धारण करते हैं उन पर विचार किया जाएगा और यदि उनका चयन होता है तो पद को प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा—भविष्य में सभी विभागीय प्रधान अधिकारी (नॉटिकल) प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक योग्यताएं प्राप्त कर लें। आवश्यक : (i) भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विशेष मास्टर योग्यता प्रमाणपत्र (ii) विदेशगामी पोतों की कमान संभालने का अनुभव (iii) विदेशगामी पोतों और ऐसे पोतों के फलक पर लगे उपस्करों के सर्वेक्षण और निरीक्षण का 15 वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 2 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे—इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6
2. प्रधान अधिकारी (सामुद्रिक)	1* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	18400-500-22,400 रुपए	योग्यता द्वारा चयन	उम्मीदवार की उम्र 50 वर्ष से अधिक न हो—(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी—न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप-खंड तथा अंदमान निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

7	8	9	10	11
हां परन्तु यदि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति अधिकारी अपनी इस नियुक्ति से पहले केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, या संघ राज्य क्षेत्र सरकार या इनमें से किसी सरकार या प्रशासन के किसी स्वायत्तशासी निकाय के अधीन पद धारण किए हुए है—या जहां उसे केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा वर्षों को जोड़ने का फायदा दिया गया हो और केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र सरकार या इनमें से किसी सरकार या प्रशासन के अधीन किसी स्वायत्तशासी निकाय में की गई इस सेवा की अवधि की गणना को भारत सरकार में की गई सेवा के साथ जोड़ने का फायदा दिया गया हो तो	आवश्यक : (i) विदेशगामी पोतों या ऐसे पोत के फलक पर लगे उपस्करों के सर्वेक्षण और निरीक्षण में 11 वर्ष का अनुभव तथा अतिरिक्त मास्टर प्रवीणता प्रमाणपत्र, या विदेशगामी पोतों या ऐसे पोतों के फलक पर लगे उपस्करों के सर्वेक्षण और निरीक्षण में 13 वर्ष का अनुभव तथा मास्टर प्रवीणता प्रमाणपत्र, या विश्व समुद्रीय विश्वविद्यालय, माल्मो, स्वीडन सहित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समुद्रीय मामलों में एम.एस.सी. डिग्री या समतुल्य और विदेशगामी पोतों और ऐसे पोतों के फलक पर लगे उपस्करों के सर्वेक्षण और निरीक्षण का 15 वर्ष का अनुभव, और (ii) विदेशगामी पोतों की कमान संभालने का एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में	आयु : नहीं शैक्षणिक योग्यता : हाँ टिप्पण : इन नियमों की इस अधिसूचना की तारीख को कार्यरत उप सामुद्रिक सलाहकार सीधी भर्ती के लिए पुनरीक्षित शैक्षणिक अर्हताओं में छूट के पात्र होंगे।	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती

7	8
फिर यह फायदा अनुज्ञेय देय नहीं होगा।	संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है(हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

12	13	14
प्रोन्नति : ऐसा उप सामुद्रिक सलाहकार जिसने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हता/पात्रता सेवा पूरी कर ली है और प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तक जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 2. सचिव/अपर सचिव पोत परिवहन मंत्रालय—सदस्य 3. नौवहन महानिदेशक—सदस्य समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए)। 1. सचिव/अपर सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय—अध्यक्ष 2. नौवहन महानिदेशक—सदस्य।	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा अयोग से परामर्श आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6
3. उप-सामुद्रिक सलाहकार	4* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	रुपए 14,300-400-18,300/-	योग्यता द्वारा चयन	उम्मीदवार की उम्र 50 वर्ष से अधिक न हो। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण :** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख से भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियम की गई अंतिम तारीख होगी—न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम,

6
मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप खंड तथा अंदमान निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

7	8	9	10	11
हां परन्तु यदि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति अधिकारी अपनी इस नियुक्ति से पहले केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, या संघ राज्य क्षेत्र सरकार या इनमें से किसी सरकार या प्रशासन के किसी स्वायत्तशासी निकाय के अधीन पद धारण किए हुए है या जहां उसे केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा वर्षों को जोड़ने का फायदा दिया गया हो और केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र सरकार या इनमें से किसी सरकार या प्रशासन के अधीन किसी स्वायत्तशासी निकाय में की गई इस सेवा की अवधि की गणना को भारत सरकार में की गई सेवा के साथ जोड़ने का फायदा दिया गया हो तो फिर यह फायदा अनुज्ञेय देय नहीं होगा।	**आवश्यक** : (i) विदेशगामी पोतों या ऐसे पोत पर लगे उपस्करों के सर्वेक्षण और निरीक्षण में 8 वर्ष का अनुभव तथा अतिरिक्त मास्टर प्रवीणता प्रमाणपत्र, या विदेशगामी पोतों या ऐसे पोतों पर लगे उपस्करों के सर्वेक्षण और निरीक्षण में 10 वर्ष का अनुभव, और प्रवीणता मास्टर प्रमाणपत्र, या विदेशगामी पोतों पर लगे उपस्करों का 12 वर्ष का सर्वेक्षण और निरीक्षण का अनुभव और समुद्रीय विश्वविद्यालय, माल्मो, स्वीडन सहित किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से समुद्रीय मामलों में एम.एस.सी. डिग्री या समतुल्य और (ii) विदेशगामी पोतों की कमान-संभालने का एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1** : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2** : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है(हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	आयु : नहीं शैक्षणिक योग्यता : हाँ **टिप्पण** : इन नियमों की इस अधिसूचना की तारीख को विद्यमान नॉटिकल सर्वेक्षक के रूप में काम कर रहा व्यक्ति सीधी भर्ती के मामले में पुनरीक्षित शैक्षणिक अर्हताओं में छूट का पात्र होगा।	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

12	13	14
प्रोन्नति : ऐसा नॉटिकल सर्वेक्षक जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हता/पात्रता सेवा पूरी कर ली है और प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता-पूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. सचिव/अपर सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय —सदस्य 3. नौवहन महानिदेशक —सदस्य 4. पोत परिवहन मंत्रालय में पोत परिवहन के प्रभारी संयुक्त सचिव —सदस्य समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए)। 1. सचिव/अपर सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय —अध्यक्ष 2. नौवहन महानिदेशक —सदस्य 3. पोत परिवहन प्रभारी संयुक्त सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय —सदस्य	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा अयोग से परामर्श आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6
4. नॉटिकल सर्वेक्षक	13* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	12,000-375-16,500 रु.	लागू नहीं होता	उम्मीदवार की उम्र 50 वर्ष से अधिक न हो—(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख से भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियम की गई अंतिम तारीख होगी—न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप खंड तथा अंदमान निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

7	8	9	10	11
हां परन्तु यदि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अधिकारी अपनी इस नियुक्ति से पहले केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, या संघ राज्य क्षेत्र सरकार या इनमें से किसी सरकार या प्रशासन के किसी स्वायत्तशासी निकाय के अधीन पद धारण किए हुए है—या जहां उसे केन्द्रीय	आवश्यक : (i) प्रवीणता प्रमाणपत्र (विदेशगामी) सहित डेक अधिकारी के रूप में 8 वर्ष की सेवा जिसमें से विदेशगामी पोत पर एक वर्ष मुख्य अधिकारी के रूप में कार्य किया हो, या डेक अधिकारी के रूप में 10 वर्ष की सेवा जिसमें से विदेशगामी पोत	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 25 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/आमेलन (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है)

7	8
सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा वर्षों को जोड़ने का फ़ायदा दिया गया हो और केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र सरकार या इनमें से किसी सरकार या प्रशासन के अधीन किसी स्वायत्तशासी निकाय में की गई इस सेवा की अवधि की गणना को भारत सरकार में की गई सेवा के साथ जोड़ने का फायदा दिया गया हो तो फिर यह फायदा अनुज्ञेय देय नहीं होगा।	पर एक वर्ष मुख्य अधिकारी के रूप में कार्य किया हो, और समुद्री विश्वविद्यालय, माल्मो, स्वीडन सहित किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से समुद्री मामलों में एम.एस.सी. डिग्री या समतुल्य। **वांछनीय :** अतिरिक्त मास्टर का सक्षमता प्रमाणपत्र और डेक अधिकारी के रूप में 6 वर्ष की सेवा और जिसमें से विदेशगामी पोत पर एक वर्ष मुख्य अधिकारी के रूप सेवा की हो। **टिप्पण 1 :** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं)—जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

12	13	14
प्रतिनियुक्ति/आमेलन (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/पत्तन न्यासों/पब्लिक सेक्टर की नौवहन कम्पनियों के ऐसे अधिकारी : (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने 10000-15200 रुपए या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। **नोट 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे—इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी—प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए)** 1. नौवहन महानिदेशक —अध्यक्ष 2. पोत परिवहन मंत्रालय में पोत परिवहन के प्रभारी संयुक्त सचिव —सदस्य 3. पोत परिवहन मंत्रालय में नौवहन महानिदेशालय के प्रशासन से संबंधित निदेशक/उप सचिव —सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6
5. ज्येष्ठ रेडियो सर्वेक्षक	1* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	10,000-325-15,200 रुपए	चयन सह ज्येष्ठता	लागू नहीं होता

7	8	9	10	11
नहीं	लागू नहीं होता	नहीं	लागू नहीं होता	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है

12	13	14
प्रोन्नति : 8,000-13,500 रुपए के वेतनमान में ऐसा रेडियो निरीक्षक जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हता/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता-पूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है)** केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/पत्तन न्यासों/ पब्लिक सेक्टर की पोत परिवहन कम्पनियों के ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है, या (ii) जिन्होंने 8000-13500 रुपए या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों : (i) भारत सरकार के संचार मंत्रालय से मान्यताप्राप्त भारत संघ के किसी राज्य द्वारा जारी रेडियो इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रानिक्स में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र, या संचार मंत्रालय द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचार इंजीनियरिंग शाखा में इलेक्ट्रानिक्स में बी. टेक. या बी. ई. की डिग्री (ii) विश्व सामुद्रिक आपदा संरक्षा प्रणाली में सामान्य प्रचालन प्रमाणपत्र (iii) स्वतंत्र प्रभार के रूप में समरूपी सूत्रों पर कर्तव्य निर्वहन या वाणिज्यिक पोतों पर रेडियो ऑफिसर के रूप में आठ वर्ष का अनुभव। **टिप्पण :** (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त के लिए विचार किए	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)** 1. नौवहन महानिदेशक —अध्यक्ष 2. पोत परिवहन मंत्रालय में पोत परिवहन के प्रभारी संयुक्त सचिव —सदस्य 3. पोत परिवहन मंत्रालय में पोत परिवहन महानिदेशालय का प्रशासन से संबंधित निदेशक/ उप सचिव —सदस्य	अधिकारी को प्रतिनियुक्ति/ संविदा पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा अयोग से परामर्श आवश्यक है।

12
जाने के पात्र नहीं होंगे—इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी—प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

1	2	3	4	5	6
6. रेडियो इन्सपेक्टर	5* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	8000-275-13500 रुपए	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी—(न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड तथा अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

7	8	9	10	11
नहीं	**आवश्यक :** (i) सामान्य श्रेणी या प्रथम श्रेणी रेडियो ऑपरेटर में प्रवीणता का प्रमाणपत्र। (ii) पोत पर या तट पर स्थापित बेतार स्टेशन में प्रचालन, अनुरक्षण और समायोजन का तीन वर्ष का अनुभव; या (i) द्वितीय श्रेणी रेडियो ऑपरेटर के रूप में प्रवीणता प्रमाणपत्र। (ii) पोत पर या तट पर लगे बेतार स्टेशन का प्रचालन अनुरक्षण और समायोजन का पांच वर्ष का अनुभव	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष	80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है।

8		
वांछनीय : (i) दूर संचार इंजीनियरिंग में डिग्री (ii) नेवीगेशन में इलेक्ट्रॉनिक साधनों में प्रचालन अनुरक्षण और समायोजन का अनुभव **टिप्पण 1 :** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		
12	13	14
प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है)/समायोजन : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/पत्तन न्यासों/पब्लिक सेक्टर की पोत परिवहन कम्पनियों के ऐसे अधिकारी— (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने 6500-10500 रुपए या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। **टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए):** 1. नौवहन महानिदेशक —अध्यक्ष 2. पोत परिवहन प्रभारी संयुक्त सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय —सदस्य 3. पोत परिवहन मंत्रालय में पोत परिवहन महानिदेशालय का प्रशासन से संबंधित निदेशक/उप सचिव —सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. ए.-11011/9/99-एम ए]

आर. एस. बिष्ट, अवर सचिव

New Delhi, the 13th May, 2003

G.S.R. 215.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Dirctorate General of Shipping and Mercantile Marine Departments (Group A Technical Posts) Recruitment Rules, 1987, in so far as they relate to the posts of Nautical Adviser to the Government of India, Principal Officer (Nautical), Deputy Nautical Adviser, Nautical Surveyor and Radio Inspector except as respects things done or omited to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' (Technical) posts in the Directorate General of Shipping and Mercantile Marine Departments, in the Ministry of Shipping, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the Directorate General of Shipping and Mercantile Marine Departments Group 'A' (Nautical) Posts Recruitment Rules, 2003.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scales of pay.**—The number of said posts, their classification and the scales of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, age limit, qualifications, etc.**—Method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection-cum seniority or Selection by merit or Non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
1. Nautical Adviser to the Government of India	1* (2003) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, (Group 'A') Gazetted Non-Ministerial	Rs.22400-525-24500/-	Not Applicable	Not applicable

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
7	8	9
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation /absorption grades from which promotion /deputation /absorption to be made
10	11	12
Not applicable	Promotion/Deputation (including short-term contract)	**Promotion/Deputation (including short-term contract):** Officers of Central Government/ State Government/ Union Territory Administration /Port Trusts/ Shipping Companies in the Public sector:— (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with three years regular service in posts in the scale of pay of Rs. 18400-22400 or equivalent; and (b) Possessing the following educational qualifications: (i) Extra Master's Certificate of Competency with fourteen years of experience in survey and inspection of foreign going ships and equipment on board such ships; or Master's Certificate of Competency with sixteen years experience in survey and inspection of foreign going ships and equipment on board such ships; or M.Sc. Degree in Maritime Affairs or its equivalent from a recognised university including World Maritime University, Malmo, with eighteen years experience in survey and inspection of foreign going ships and equipment on board such ships. (ii) One year experience in command of foreign going ships. **Note 1:** The Departmental Principal Officer (Nautical) in the pay scale of Rs. 18400-22400/- on the date of notification of these rules with three years regular service in the grade and possessing the educational qualifications and experience indicated below shall also be considered and if selected, the post will be deemed to have been filled up by promotion. All future Departmental Principal Officer (Nautical) should possess the educational qualifications prescribed for deputationists: **Essential :** (i) Extra master's Certificate of Competency recognised by the Government of India. (ii) Experience in command of foreign going ships. (iii) Fifteen years experience in survey and inspection of foreign going ships and the equipment on board such ships.

12	
	Note 2 : The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3 :** Period of deputation/contract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

1	2	3	4	5	6
2. Principal Officer (Nautical)	1*[2003] *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Minisbrial	Rs. 18400-500-22400/-	Selection by merit	Not exceeding 50 years (Relaxable for Government Servant upto five years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep.

7	8	9
Yes Provided that this benefit, shall not be admissible if such a direct recruit before his appointment to the post has held a post under the Central or a State Government or a Union territory Administration or in an Autonomous Body under any such Government where he has been given the benefit of added years of service under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972 or has been given the benefit of counting that period of service rendered under the Central Government/State Government or a Union territory Administration or an Autonomous Body under any such Government with the Government of India service.	**Essential :** (i) Extra Master's Certificate of Competency with 11 years of experience in survey and inspection of foreign going ships and equipment on board such ships; or Master's Certificate of Competency with 13 years experience in survey and inspection of foreign going ships and equipment on board such ships; or M.Sc. degree in Maritime Affairs or its equivalent degree awarded by a recognised University including World Maritime University, Malmo, Sweden, with 15 years of experience in survey and inspection of foreign going ships and equipment on board such ships; (ii) One year experience in command of foreign going ships. **Note1:**— Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note2:** — Qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the required experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Age No Educational Qualification Yes Note : The existing Deputy Nautical Advisors holding the post on the date of notification of these rules are exempted from possessing the revised educational qualifications for direct recruits.

10	11	12
Two years for direct recruits.	Promotion failing which by direct recruitment	**Promotion :** Deputy Nautical Adviser with three years regular service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility Service.

13	14
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) : 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman 2. Secretary/Additional Secretary, Ministry of Shipping—Member 3. Director General of Shipping—Member Group 'A Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) : 1. Secretry/Additional Secretary Ministry of Shipping—Chairman 2. Director General of Shipping—Member	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment.

1	2	3	4	5	6
3. Deputy Nautical Adviser	4* (2003) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, (Group 'A') Gazetted Non-Ministerial.	Rs.14300-400-18300/-	Selection by merit	Not exceeding 50 years. (Relaxable for Government Servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :**—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J and K State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep.

7	8	9
Yes Provided that this benefit, shall not be admissible if such a direct recruit before his appointment to the post has held a post under the Central or a State Government or a Union Territory Administration or in an Autonomous Body under any such Government where he has been given the benefit of added years of service under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972 or has been given the benefit of counting that period of service rendered under the Central Government/State Government or a Union Territory Administration or an Autonomous Body under any such Government with the Government of India service.	**Essential :** (i) Extra Master's Certificate of Competency with 8 years of experience in survey and inspection of foreign going ships and equipment on board such ships; or Master's Certificate of Competency with 10 years experience in survey and inspection of foreign going ships and equipment on board such ships; or M.Sc. degree in Maritime Affairs or its equivalent degree from a recognised University including World Maritime University, Malmo, Sweden, with 12 years of experience in survey and inspection of foreign going ships and equipment on board such ships; (ii) One year experience in command of foreign going ships. **Note 1** : —Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**:—The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the required experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Age No. Educational Qualification : Yes **Note :** The existing Nautical Surveyors holding the post on the date of notification of these rules are exempted from possessing the educational qualifications for direct recruits.

10	11	12
Two years for direct recruits.	Promotion failing which by direct recruitment	**Promotion :** Nautical Surveyor with five years regular service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

13	14
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) : 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman 2. Secretary/Additional Secretary, Ministry of Shipping—Member 3. Director General of Shipping—Member 4. Joint Secretary, In-charge of Shipping, Ministry of Shipping—Member **Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :** 1. Secretary/Additional Secretary Ministry of Shipping—Chairman 2. Director General of Shipping—Member 3. Joint Secretary, In-charge of Shipping, Ministry of Shipping—Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment.

1	2	3	4	5	6
4. Nautical Surveyor	13* (2003) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, (Group 'A') Gazetted Non-Ministerial.	Rs.12000-375-16500/-	Not applicable	Not exceeding 50 years. (Relaxable for Government Servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J and K State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep.

7	8	9
Yes Provided that this benefit, shall not be admissible if such a direct recruit before his appointment to the post has held a post under the Central or a State Government or a Union Territory Administration or in an Autonomous Body under any such Government where he has been given the benefit of added years of service under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972 or has been given the benefit of counting that period of service rendered under the Central Government/State Government or a Union Territory Administration or an Autonomous Body under any such Government with the Governmentof India service.	**Essential :** (i) Certificate of Competency (Master foreign going) with 8 years service as Deck Officer of which one year must have been in capacity of a Chief Officer on a foreign going ship; or M.Sc. degree in Maritime Affairs or its equivalent from a recognised University including World Maritime University, Malmo, Sweeden, with 10 years service as Deck Officer of which one year must have been in the capacity of a Chief Officer on a foreign going ship. **Desirable :** Extra Master's Certificate of Compentency with 6 years service as Deck Officer of which one year must have been in the capacity of Chief Officer on a foreign going ship. **Note 1** :—Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**:—The Qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Not applicable.

10	11	12
Two years for direct recruits.	75% by direct recruitment; and 25% by deputation (including short term contract)/absorption	**Deputation/absorption (including Short Term Contract)** Officers of the Central Government/State Government/Union Territory Administration/ Port Trusts/Shipping Companies in the Public Sector. (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 5 years regular service in the scale of pay of Rs. 10000-15200 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8. **Note 1 :** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion [Period of deputation including period of

12
deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department of the Central Government shall not ordinarily exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including Short Term Contract/absorption) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.] **Note 2 :** Only officers from Central Government/ State Government/Union Territories are eligible for absorption.

13	14
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) : 1. Director General of Shipping—Chairman 2. Joint Secretary, In-charge of Shipping, Ministry of Shipping—Member 3. Director/Deputy Secretary, dealing with administration of the Directorate General of Shipping in the Ministry of Shipping—Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

1	2	3	4	5	6
5. Senior Radio Surveyor	1* (2003) *Subject to variation Dependent on work-load.	General Central Service, (Group 'A') Gazetted, Non-Ministerial.	Rs.10000-325-15200/-	Selection-cum-seniority	Not applicable.

7	8	9
No	Not applicable	Age : No. E. Qs : No.

10	11	12
Not applicable.	Promotion failing which by deputation (including short-term contract).	**Promotion :** Radio Inspectors in the scale of Rs. 8000—13500 with five years regular service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and

12
have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation (Including short term contract):** Officers of the Central Government/State Government/Union Territory Administration/ Port Trusts/Shipping Companies in the Public Sectors : (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 5 years regular service in the scale of pay of Rs. 8000-13500 or equivalent; and (b) possessing the following educational qualification and experience prescribed for direct recruits. (i) Certificate or Diploma in Electronics and Radio Engineering issued by any State Government of the Indian Union and recognised by the Ministry of Communication, Government of India, OR A degree in Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Electronic and Communication Engineering Branch issued by a University and recognised by the Ministry of Communications. (ii) Global Maritime Distress Safety System General Operators Certificates. (iii) Eight years experience of Radio Officer on Merchant Ships or Mobile and units with analogous duties, having independent charge. **Note :** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall not ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract/absorption) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

13	14
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) : 1. Director General of Shipping—Chairman 2. Joint Secretary, In-charge of Shipping, Ministry of Shipping—Member 3. Director dealing with administration of Directorate General of Shipping in the Ministry of Shipping—Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation/contract.

1	2	3	4	5	6
6. Radio Inspector	5* (2003) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'A' Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 8000-275-13500/-	Not applicable	Not exceeding 50 years. (Relaxable for Government Servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :**—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J and K State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep.

7	8	9
No	**Essential :** (i) Certificate of Proficiency as general class or first class Radio Operator. (ii) Three years experience in operation, maintenance and adjustment of ship borne or shore based wireless station; or (i) Certificate of Proficiency as second class Radio Operator. (ii) Five years experience in operation, maintenance and adjustment of ship borne or shore based wireless station. **Desirable :** (i) Degree in Telecommunication Engineering. (ii) Experience in operation, maintenance adjustment of electronic aids to navigation. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the required experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Not applicable

10	11	12
One year for direct recruits.	80% by direct recruitment; and 20% by deputation (including short term contract)/absorption.	**Deputation (including short-term contract)/ absorption :** Officers of the Central Government/State Government/Union Territory Administrations/ Shipping Companies in the Public Sector/Port Trusts :— (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 5 years regular service in the scale of Rs. 6500-10,500/- or equivalent; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits in column 8. **Note 1 :** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract)/absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 2 :** Only officers from Central Government/ State Government/Union Territories are eligible for absorption.

13	14
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Confirmation) : 1. Director General of Shipping Mumbai —Chairman 2. Joint Secretary, In-charge of Shipping, Ministry of Shipping —Member 3. Director dealing with administration of Directorate General of Shipping in the Ministry of Shipping —Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

[F. No. A-11011/9/99-MA]
R.S. BISHT, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

(रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 5 मई, 2003

सा.का.नि. 216.—केन्द्रीय सरकार शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् नियम 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् (संशोधन) नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् नियम, 1962 में,—

(i) नियम 3 के खंड (ङ) और (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(ङ) उद्योग और तकनीकी शिक्षा से संबंधित विषयों पर विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले 4 से अनधिक व्यक्ति,

(च) श्रम से संबंधित विषयों पर विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले 5 से अनधिक व्यक्ति,

(छ) अखिल भारतीय परिषद् के दो प्रतिनिधि और प्रत्येक क्षेत्रीय बोर्ड का एक प्रतिनिधि।";

(ii) नियम 14 में,—

(क) उपनियम (2) में "परिषद्" शब्द के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उपनियम (3) में "परिषद् का अध्यक्ष" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. डीजीईटी-2(10)/2002-ए.पी.]

एन. लंका, उप सचिव

टिप्पण :— मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 608 तारीख 19 अप्रैल, 1962 में प्रकाशित किए गए थे और तथा अंतिम बार दिनांक 10 अप्रैल, 1996 के सा.का.नि. 187 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF LABOUR

(Directorate General of Employment and Training)

New Delhi, the 5th May, 2003

G.S.R. No. 216.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 37 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Apprenticeship Council Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Apprenticeship Council (Amendment) Rules, 2003.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Apprenticeship Council Rules, 1962,—
   (i) in rule 3, for clauses (e) and (f), the following clauses shall be substituted, namely :—
   "(e) not more than 4 persons having special knowledge and experience on matters relating to industry and technical education,
   (f) not more than 5 persons having special knowledge and experience on matters relating to labour,
   (g) two representatives of the All India Council and one representative each of the Regioal Boards."
   (ii) in rule 14,—
   (a) in sub-rule (2), for the word "Council" the words "Central Government" shall be substituted;
   (b) in sub-rule (3), for the words "Chairman of the Council" the words "Central Government" shall be substituted.

[F. No. DGET-2(10)/2002-AP]

N. LANKA, Dy. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 608 dated 19th April, 1962 and last amended vide G.S.R. 187 dated 10th April, 1996.

नई दिल्ली, 5 मई, 2003

सा.का.नि. 217.—केन्द्रीय सरकार शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि :—

(क) स्थायी या विशेष समितियों के कृत्यों को अवधारित करने के लिए केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् नियम 1962 के नियम 14 के उपनियम (2) द्वारा उसको प्रदत्त शक्तियां परिषद् द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी;

(ख) स्थायी या विशेष समितियों की संरचना को अवधारित करने के लिए केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् नियम 1962 के नियम 14 के उपनियम (3) द्वारा उसको प्रदत्त शक्तियां अध्यक्ष द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी।

[फा. सं. डीजीईटी-2(10)/2002-ए.पी.]

एन. लंका, उप सचिव

New Delhi, the 5th May, 2003

G.S.R. 217.— In exercise of the powers conferred by section 34 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by,—

(a) sub-rule (2) of the rule 14 of the Central Apprenticeship Council Rules, 1962 to determine the functions of the Standing or Special Committees shall be exercisable also by the Council;

(b) sub-rule (3), of the rule 14 of the Central Apprenticeship Council Rules, 1962 to determine the composition of the Standing or Special Committees shall be exercisable also by the Chairman.

[F. No. DGET-2(10)/2002-AP]

N. LANKA, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.